उत्तर प्रदेश शासन

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
आय–व्ययक

वर्ष 2010–11

भूमिका

वै वीकरण के परिणाम स्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृ य में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उद्योगों की भूमिका का वि ोष महत्व हो गया है। उद्योगों के माध्यम से जहॉ प्रदेश का बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाऍ भी उत्पन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दे ा का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाऍ है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। उद्योगों के विकास हेतु सुनियोजित ढंग से नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूॅजी निवे ा आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अब लघु उद्योग इकाइयों को मात्र मेमोरेन्डम कर पावती रसीद प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि औद्योगीकरण को गति मिल सके तथा रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हो सकें। वर्ष **2008–09** में **33302** लघु उद्यमों की स्थापना कराते हुये **1,71,141** रोजगार सृजन किया गया जिनमें रू0 **2046.80** करोड़ का पूॅजी निवेश हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में **माह दिसम्बर,, 2009 तक 25813** लघु उद्यमों की स्थापना कराते हुए **1,32,971** रोजगार सृजन किया गया है, जिसमें रू0 **1930.79** करोड का पूॅजी निवेश हुआ है। प्रदे ा में पूॅजी निवे ा को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से उद्योग निदे ालय में पूॅजी निवे ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

लघु उद्योगों को सभी प्रकार की औद्योगिक परिसंरचनायें प्रदान करते हुए विकसित करने के उद्दे य से संचालित क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत प्रदेश में चयनित क्लस्टर्स में से अबतक 09 क्लस्टर्स साफ्ट इन्टरवेन्शन हेतु तथा 05 क्लस्टर्स (कारपेट क्लस्टर,भदौही, ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी पाटरी क्लस्टर,खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर,मेरठ तथा लेदर क्लस्टर,चौरीचौरा,गोरखपुर)हार्ड इन्टरवेन्शन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं।

लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्दे य से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन(टेक्नालॉजी अपग्रेडे ान) योजना अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2009 तक कुल 60 इकाइयों को लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रदे ा के वृहद औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें (जैसे–सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्दे य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदे ा के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्दे य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामूहिक प्र िाक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्र िाक्षित किया जा रहा है।

प्रदे ा में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं जैसे विपणन सहायता योजना, गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान तथा वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदे ा में हस्त ाल्प विकास के लिए हस्त ाल्पियों के प्र िाक्षण एवं कौ ाल उन्नयन हेतु प्र िाक्षण से सम्बन्धित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदे ा के हस्त ाल्पियों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हस्त ाल्पी पें ान योजना के अन्तर्गत वि िाष्ट हस्त ाल्पियों को नियमानुसार रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से पें ान भी दी जा रही है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनॉक 13.05.2008 को घोषणा की गई कि **'' प्रदेश के उद्यमियों की सुविधा के लिए आन–लाइन निवेश मित्र व्यवस्था शुरू की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र पर हेल्प–डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी''**, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी जिला उद्योग केन्द्रों में **हेल्प डेस्क** की स्थापना की गयी है। इस सुविधा का लाभ उद्यमियों द्वारा पूरे प्रदेश में निःशुल्क प्राप्त किया जा रहा है जिसके द्वारा इन्टरनेट से जानकारियां विभिन्न विभागों के उपलब्ध फार्म, एवं इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन पत्रों का विभिन्न विभागों को प्रेषण आदि किया जा रहा है।

प्रमुख कार्यक्रम

प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन में उद्योग निदेशालय,उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो आदि की प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सत्त प्रयत्नशील है।

जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जनपदीय कार्ययोजना का प्रचार–प्रसार सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन एवं प्रोजेक्ट तैयार करना,आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना,बैंक ऋण स्वीकृत कराना,प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाई द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग देना इत्यादि कार्यो का निस्तारण किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है, जिसके अधीन सुचारू–रूप से कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक विपणन, परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक ऋण आदि कार्यरत है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 (एन0एस0एम0ई0डी0एक्ट–2006) के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लघु उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गयी है अब उद्यमियों को सरल प्रणाली के रूप में मात्र मेमोरेण्डम दाखिल करने की व्यवस्था की गयी है।

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन/स्वीकृतियॉ/आपत्तियों तथा लाइसेन्स इत्यादि के सम्बन्ध में आवेदन–पत्रों का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जाता है, ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपर्युक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके। उद्यमियों की सुविधा हेतु जनपद, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर उद्योग बन्धु का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से वरीयता के आधार पर उद्यमियों की समस्याओं एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रति वर्ष शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय एवं मण्डल समिति द्वारा चयनित लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार हस्तशिल्प तथा निर्यात पुरस्कार से उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों एवं निर्यातकों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने तथा व्यवस्थित निर्यात विकास के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो सफलतापूर्वक कार्यरत है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा प्रदेश के निर्यातकों के हित में '' त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना'' संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एक्सपोर्ट फ्रेट सहायता, विपणन विकास सहायता,निर्यात पुरस्कार आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना का संचालन भी किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजनान्तर्गत पूर्व में स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं आधुनिकरण किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास, हस्ता िल्प विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु कई नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, हस्तशिल्प प्र ाक्षिण एंव कौ ाल उन्नयन, हस्ता िल्पी पें ान योजना, वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजन तथा, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

==========

वित्तीय आवश्यकताएं

==========

वित्तीय आवश्यकताएं
तालिका "क"
कार्यकमों/कार्यकलापों का वर्गीकरण
निगमों/कार्यकमों तथा कार्यककलापों की वित्तीय आवश्यकताएं
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

अनुदान संख्या–3										धनराशि लाख रू0 में		
मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1–सचिवालय सामान्य सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	3.17	1109.34	1112.51	3.17	1109.34	1112.51	0.00	0.00	0.00
2–लघु स्तरीय उद्योग	1974.29	3855.11	5829.40	1971.09	4628.07	6599.16	1971.10	4658.07	6629.17	1724.88	6377.71	8102.59
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
3–निदेशन एवं प्रशासन	13.32	1775.51	1788.83	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2439.87	2439.87
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
4– विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00
4– लोक निमार्ण कार्य	77.68	0.00	77.68	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	94.30	0.00	94.30
5– औद्योगिक आस्थान	420.70	0.00	420.70	100.02	0.00	100.02	100.02	0.00	100.02	145.01	0.00	145.01
6–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0.00	71.26	71.26	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
योग मतदेय	**2485.99**	**5708.88**	**8194.87**	**2158.28**	**7998.57**	**10156.85**	**2158.29**	**8028.57**	**10186.86**	**1964.19**	**8824.58**	**10788.77**
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00
कुल योग मतदेय एवं भारित	**2485.99**	**5708.88**	**8194.87**	**2158.28**	**8002.57**	**10160.85**	**2158.29**	**8032.57**	**10190.86**	**1964.19**	**8828.58**	**10792.77**

तालिका "ख"
(उद्देश्यवार वर्गीकरण)

अनुदान संख्या–3 **निदेशन एवं प्रशासनयोजना उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर** **धनराशि लाख रूपये में**

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01–वेतन	1.90	925.78	927.68	0	1457.00	1457.00	0	1457.00	1457.00	0.00	1500.71	1500.71
02–मजदूरी	0	4.03	4.03	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
03–मंहगाई भत्ता	0.19	343.68	343.87	0	305.97	305.97	0	305.97	305.97	0.00	495.23	495.23
04–यात्रा व्यय	0.01	17.71	17.72	0	20.20	20.20	0	20.20	20.20	0.00	24.24	24.24
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	1.44	1.44	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
06–अन्य भत्ते	0	94.84	94.84	0	146.40	146.40	0	146.40	146.40	0.00	180.09	180.09
07–मानदेय	0	5.70	5.70	0	5.70	5.70	0	5.70	5.70	0.00	5.70	5.70
08–कार्यालय व्यय	0.39	22.09	22.48	0	22.00	22.00	0	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00
09–विद्युत देय	0.30	5.60	5.90	0	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0.00	16.00	16.00
10–जलकर/जल प्रभार	0	1.49	1.49	0	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.30	20.10	20.40	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.52	4.91	6.43	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.30	11.59	11.89	0	16.90	16.90	0	16.90	16.90	0.00	17.40	17.40
14–स्टाफ कारों का कय	5.00	18.00	23.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल पर व्यय	0.33	33.07	33.40	0	33.00	33.00	0	33.00	33.00	0.00	40.00	40.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.00	4.06	4.06	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
17–किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.00	9.28	9.28	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.00	0.20	0.20	0	0.20	0.20	0	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20
26–मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	2.59	4.59	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
29–अनुरक्षण	0.00	9.85	9.85	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.00	20.00	20.00

42– अन्य व्यय मतदेय	0.00	0.40	0.40	0	0.41	0.41	0	0.41	0.41	0.00	0.41	0.41
भारित	0.00	0.00	0.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.08	5.65	5.73	0	5.95	5.95	0	5.95	5.95	0.00	15.01	15.01
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.00	1.83	1.83	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.00	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	6.95	7.95	0	7.25	7.25	0	7.25	7.25	0.00	8.70	8.70
49–चिकित्सा व्यय	0.00	19.90	19.90	0	20.18	20.18	0	20.18	20.18	0.00	30.18	30.18
50–मंहगाई वेतन	0.00	202.69	202.69	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51–वर्दी व्यय	0.00	1.08	1.08	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
;ksx erns;	**13.32**	**1775.51**	**1788.83**	**0.00**	**2129.16**	**2129.16**	**0.00**	**2129.16**	**2129.16**	**0.00**	**2439.87**	**2439.87**
Hkkfjr	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**

तालिका "ख"
उद्देश्यवार वर्गीकरण
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

अनुदान संख्या –3 जिला उद्योग केन्द्र योजना

धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01–वेतन	0	1980.22	1980.22	0	3237.24	3237.24	0	3237.24	3237.24	0	3334.36	3334.36
02–मजदूरी	0	7.41	7.41	0	7.50	7.50	0	7.50	7.50	0	7.50	7.50
03–मंहगाई भत्ता	0	847.02	847.02	0	679.82	679.82	0	679.82	679.82	0	1100.34	1100.34
04–यात्रा व्यय	0	14.87	14.87	0	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	18.00	18.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	4.67	4.67	0	11.00	11.00	0	11.00	11.00	0	11.00	11.00
06–अन्य भत्ते	0	154.85	154.85	0	325.28	325.28	0	325.28	325.28	0	333.44	333.44
07–मानदेय	0	4.29	4.29	0	2.50	2.50	0	2.50	2.50	0	2.50	2.50
08–कार्यालय व्यय	0	21.29	21.29	0	21.00	21.00	0	21.00	21.00	0	21.00	21.00
09–विद्युत देय	0	18.67	18.67	0	19.80	19.80	0	19.80	19.80	0	20.70	20.70
10–जलकर/जलप्रभार	0	1.30	1.30	0	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0	5.00	5.00
11–लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	0	10.18	10.18	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	10.42	10.42	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0	9.33	9.33	0	10.50	10.50	0	10.50	10.50	0	10.50	10.50
14–स्टाफ कारों का प्रयोग	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल पर व्यय	0	15.17	15.17	0	15.50	15.50	0	15.50	15.50	0	20.50	20.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	2.48	2.48	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	3.82	3.82	0	13.68	13.68	0	13.68	13.68	0	13.68	13.68
29–अनुरक्षण	0	43.48	43.48	0	50.00	50.00	0	50.00	50.00	0	100.00	100.00

42–अन्य व्यय मतदेय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
भारित	0	0.00	0.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00
44–प्रशिक्षण तथा अन्य प्रसांगिक व्यय	0	15.53	15.53	0	13.50	13.50	0	13.50	13.50	0	32.37	32.37
45–अवकाश यात्रा व्यय	0	0.56	0.56	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.01	10.00	10.01
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का कय	0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0	0.00	0.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधित स्टेशनरी का कय	0	14.77	14.77	0	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	18.00	18.00
49–चिकित्सा व्यय	0	19.67	19.67	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0	30.00	30.00
50–मंहगाई वेतन	0	517.00	517.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
51–वर्दी व्यय	0	0.59	0.59	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00
योग मतदेय	**0.00**	**3717.59**	**3717.59**	**0.01**	**4496.32**	**4496.33**	**0.01**	**4496.32**	**4496.33**	**0.01**	**5113.89**	**5113.90**
भारित	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**

तालिका "ख"
(उद्देश्यवार वर्गीकरण)
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

अनुदान संख्या–3 लघु उद्योगों की गणना योजना के अन्तर्गत न्यूक्लियस सेल की स्थापना

धनराशि लाख

रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01–वेतन	8.66	0	8.66	13.40	0	13.40	13.40	0	13.40	10.44	0	10.44
03–मंहगाई भत्ता	3.13	0	3.13	2.81	0	2.81	2.81	0	2.81	3.45	0	3.45
04–यात्रा व्यय	5.15	0	5.15	4.50	0	4.50	4.50	0	4.50	4.50	0	4.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.00	0	0.00	0.10	0	0.10	0.10	0	0.10	0.10	0	0.10
06–अन्य भत्ते	0.91	0	0.91	1.36	0	1.36	1.36	0	1.36	1.15	0	1.15
07–मानदेय	106.50	0	106.50	0.45	0	0.45	0.45	0	0.45	0.60	0	0.60
08–कार्यालय व्यय	16.78	0	16.78	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.00	0	0.00	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50
42–अन्य व्यय	42.54	0	42.54	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50
44–प्रशिक्षण व्यय	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.00	0	0.00	0.35	0	0.35	0.35	0	0.35	0.35	0	0.35
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
47–कम्प्यटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
49–चिकित्सा व्यय	0.00	0	0.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00
50–मंहगाई वेतन	1.65	0	1.65	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
51–वर्दी व्यय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

;ksx	**erns;**	**187.32**	**0.00**	**187.32**	**27.97**	**0.00**	**27.97**	**27.97**	**0.00**	**27.97**	**25.59**	**0.00**	**25.59**

1–गणना योजना, 2–जिला उद्योग केन्द्र योजना, 3–निदेशन एवं प्रशासन योजना
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

धनराशि लाख रू0 में

अनुदान संख्या–3

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गणना योजना	187.32	0.00	187.32	27.97	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97	25.59	0.00	25.59
जिला उद्योग केन्द्र योजना												
मतदेय	0.00	3717.59	3717.59	0.01	4496.32	4496.33	0.01	4496.32	4496.33	0.01	5113.89	5113.90
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
निदेशन तथा प्रशासन योजना												
मतदेय	13.32	1775.51	1788.83	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2439.87	2439.87
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
कुल योग मतदेय	**200.64**	**5493.10**	**5693.74**	**27.98**	**6625.48**	**6653.46**	**27.98**	**6625.48**	**6653.46**	**25.60**	**7553.76**	**7579.36**
भारित	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**

तालिका "ग"
वित्तीय संसाधनों के स्रोत
निगमों/कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की वित्तीय आवश्यकतायें

अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) धनराशि लाख रू0 में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2008–09)			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान (2010–11)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनुदान एवं लेखा शीर्षक												
3–उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)												
2052–सचिवालय सामान्य सेवायें	0.00	0.00	0.00	3.17	1109.34	1112.51	3.17	1109.34	1112.51	0.00	0.00	0.00
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (मतदेय)	1974.29	3855.11	5829.40	1971.09	4628.07	6599.16	1971.10	4658.07	6629.17	1724.88	6377.71	8102.59
(भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
2852–उद्योग (मतदेय)	13.32	1775.51	1788.83	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2129.16	2129.16	0.00	2439.87	2439.87
(भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात सम्वर्द्धन	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	77.68	0.00	77.68	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	94.30	0.00	94.30
4851–ग्राम तथा लघु उद्योग पूँजीगत परिव्यय	420.70	0.00	420.70	100.02	0.00	100.02	100.02	0.00	100.02	145.01	0.00	145.01
6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0.00	71.26	71.26	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
योग (मतदेय)	**2485.99**	**5708.88**	**8194.87**	**2158.28**	**7998.57**	**10156.85**	**2158.29**	**8028.57**	**10186.86**	**1964.19**	**8824.58**	**10788.77**
(भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00

निदेशन एवं प्रशासन योजना

धनराशि लाख रूपये में

	वास्तविक व्यय 2008–09			आय व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय व्ययक अनुमान 2010–11		
	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग
मतदेय	1695.96	0	1695.96	2129.16	0	2129.16	2129.16	0	2129.16	2439.87	0	2439.87
भारित	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00
योग	1697.96	0	1697.96	2131.16	0	2131.16	2131.16	0	2131.16	2441.87	0	2441.87

निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत निदेशालय (मुख्यालय) क्षेत्रीय अधिकारी तथा उनके स्टाफ से सम्बन्धित वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय सम्मिलित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकारी/निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों का नियंत्रण एवं परीक्षण करते हैं। मुख्य कार्य उद्योग के विकास के लिए उद्यमियों तथा उद्यमकर्ताओं को सलाह देना, वित्तीय सहायता विकास के लिए उद्यमियों तथा उद्यमकर्ताओं को सलाह देना, वित्तीय सहायता करना प्रदेश के औद्योगीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यकलापों का समन्वय करना आदि है। जिसमें राज्य में औद्योगिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले। निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/भरे पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

पद	वर्ष 2008–09 पदों की सं0		वर्ष 2009–10 पदों की सं0		वर्ष 2010–11 पदों की सं0	
	स्वीकृत	भरे	स्वीकृत	भरे	स्वीकृत	भरे
1–उद्योग निदेशक	1	1	1	1	1	1
2–अपर निदेशक उद्योग	5	5	5	5	5	1
3–अर्थ नियंत्रक उद्योग	1	1	1	1	1	1
4–संयुक्त निदेशक उद्योग	16	15	16	13	16	8
5–उप अर्थ नियंत्रक उद्योग	1	1	1	1	1	1
6–उप निदेशक उद्योग	14	14	14	14	14	10
7–सह निदेशक उद्योग	22	22	24	24	24	24
8–वैयक्तिक सहायक	1	1	1	1	1	1
9–सांख्यकीय अधिकाारी	1	1	1	1	1	1
10–विधि अधिकारी	1	1	1	1	1	1
11–विशेष अधिकारी	1	1	2	2	2	2
योगः–	64	63	67	65	67	51
पदों की संख्या अराजपत्रित	1009	997	967	920	967	871
अधिसंख्य पदो की सॅख्या	0	0	0	0	0	50
कुल योगः–	1073	1060	1034	985	1034	972

नोट–स्थगित पदों को शामिल नहीं किया गया है ।

लघु स्तरीय उद्योग

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों को प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को क्रय मूल्य में वरीयता, अवस्थापना, संबंधी सुविधायें, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय है।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे इलेक्ट्रानिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिक आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 दिनांक 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया है। जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था भी समाप्त हो गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत अब लघु उद्योग इकाइयों को मात्र मेमोरेन्डम कर पावती रसीद प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादन एवं सेवा सम्बन्धी इकाईयों की सूचनायें एकत्र करने हेतु 07 प्रारूप तैयार किये गये है, जिन पर सूचना एकत्र की जा रही है। लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की वर्षवार प्रगति का विवरण अधोलिखित है:–

वर्ष	लक्ष्य	लघु उद्योगों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार सृजन	उत्पादन (करोड़ रु0 में)
2000–2001	32600	31023	306.38	78901	675.56
2001–2002	30045	29246	270.00	97155	635.04
2002–2003	30000	30361	272.20	112802	620.32
2003–2004	30000	30454	276.06	117564	383.00
2004–2005	30000	30402	284.34	121102	431.25
2005–2006	30000	30282	262.79	125611	372.71
2006–2007	30000	28487	507.59	120876	944.08
2007–08	33000	31734	1270.83	148985	4625.21
2008–09	33000	33302	2046.80	171141	4996.21
2009–10 दिसम्बर 09तक	33000	25813	1930.79	132971	5965.77

<u>लघु उद्योगो के विकास से सम्बंधित योजनाओं का विवरण</u>

<u>उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना</u>

प्रदे ा के सफल एवं उत्कृश्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से यह योजना भासनादे ा संख्या 564/18–2–2009–30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदे ा के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृश्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिया जायेगा। जो निम्नवत श्रेणी में होंगेः–

1. **<u>उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कारः–</u>** रू0 1.00 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंको व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जायेगा।

2. **<u>सूक्ष्म उद्योग श्रेणीः–</u>** पुरस्कार – प्रथम– 25,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

3. **<u>लघु उद्योग श्रेणीः–</u>** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

4. **<u>मध्यम उद्योग श्रेणीः–</u>** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद),पदक ,प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

5. **<u>सर्विस क्षेत्रः–</u>** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय – 20,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

6. **<u>सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विि श्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कारः–</u>** अनु0जाति/जनजाति – 25,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   महिला उद्यमी – 20,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

7. **<u>सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विि श्ट गुणवत्ता उत्पादः–</u>** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000 (नगद) (पदक, प्र ास्ति पत्र)।

8. **<u>सेवा क्षेत्र उद्यमी विि श्ट पुरस्कारः–</u>** कुल पुरस्कारों की संख्या–12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000(पदक, प्र ास्ति पत्र)।

वर्श 2009–10 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू0 10.00 लाख के परिपेक्ष्य के संदर्भ में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत चयन की कार्यवाही की जा चुकी है।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का भ्ाुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र सं0 टी0एम0/यू0एन0डी0/2005 दिनांक 14.3.2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्दे य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के युग में इकाईयॉ अपनी उत्पाद क्षमता गुणवत्ता एवं कैपेसिटी उच्चीकरण कर सके। यह योजना सार्वजनिक, निजी, सहभागिता की मं ाा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाए। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के प चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनरा ि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के प चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाती है, क्लस्टर प्रोजेक्ट में लागत का 60–80 प्रति ात अधिकतम रू0 10 करोड केन्द्रां ा भोश 40 प्रति ात में से राज्य सरकार एवं क्लस्टर एस0पी0वी0 का योगदान होता है। अबतक 09 क्लस्टर्स साफ्ट इन्टरवेन्शन हेतु तथा 05 क्लस्टर्स (कारपेट क्लस्टर,भदौही, ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी पाटरी क्लस्टर,खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर,मेरठ तथा लेदर क्लस्टर,चौरीचौरा,गोरखपुर)हार्ड इन्टरवेन्शन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं। योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्श 2010–11 में रू0 800.00 लाख की धनरा ि प्रस्तावित है।

उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योाजना

आर्थिक वै वीकरण और वि व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिपेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्दे य से यह योजना भ्ाासनादे ा सं0 26/18–2–2007–30 (26/2003 दि0 16.1.07) द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैः–

- तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनरा ि का 50% अधिकतम रू0 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु म ाीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनरा ि का 50% अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- म ाीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5% प्रतिवर्श अर्थात अधिकतम रू0 50,000.00
- आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनरा ि का 50% अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- पराम र्ा प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनरा ि का 90% अधिकतम रू0 50,000.00

उक्त योजनान्तर्गत वर्श 2007–08 में कुल 76 इकाईयों को रू0 113.84 लाख, वर्श 2008–09 में कुल 109 इकाईयों को रू0 2.00 लाख तथा वर्श 2009–10 में माह अगस्त, 2009 तक 60 इकाईयों को रू0 92.93 लाख की धनरा ि उद्यमियों को उपादान हेतु वितरित की जा चुकी है। इस योजना में लघु उद्यमियों द्वारा वि ोश रूचि को दृश्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्श 2010–11 हेतु रू0 200.00 लाख की आव यकता अनुमानित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना					10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00
2.	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	205.29	–	205.29	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00
3.	उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00
	योग(क)	**405.29**		**405.29**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग – आयोजनेत्तर–102–लघु उद्योग–08–लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना –20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता, 42–अन्य व्यय					10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00
2.		03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग – आयोजनागत –102–लघु उद्योग–03 लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना –20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज्य सहायता, 27–सब्सिडी	205.29		205.29	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00
3		03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग – आयोजनागत –102–लघु उद्योग–16–उ0प्र0सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज्य सहायता, 27–सब्सिडी	200.00		200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00
		योग(ग)	**405.29**		**405.29**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्क व ब्रोकेड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र एवं सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी, स्टोन आदि की मॉग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 65 प्रतिशत है। एन0सी0ए0आई0आर0 द्वारा वर्ष 1995–96 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिसम्बर 1997 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2,83,804 इकाईयों में 11,76,529 शिल्पी कार्यरत है। वर्तमान में लगभग 22 लाख शिल्पी अनुमानित है। उपरोक्त सर्वेक्षण में अनुमानित उत्पादन 1004.5 करोड़ एवं अनुमानित उत्पादन लागत रू0 800 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनावरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनाएं चलायी जा रही है।

प्रदे ा के वि िश्ट हस्ता िल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजनाः–

यह योजना वित्तीय वर्श 1977–78 से प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पयों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 10 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार तथा हस्तशिल्पियों में दक्ष 10 शिल्पियों को दक्षता पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2006–07 तक 294 हस्तशिल्पियों को इस पुरस्कार से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्श 2007–08 एवं 2008–09 तथा 2009–10 के लिए महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त हुये आवेदन पत्रों/कलाकृतियों में से राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक संपन्न कराकर पुरस्कारों का चयन कर लिया गया है। वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के पुरस्कार समारोह शीघ्र सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अखिल भारतीय हस्ता िल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना वर्श 1961–62 से प्रारम्भ की गई। प्रदे ा के विभिन्न हस्ता िल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्वि करने के उद्दे य से प्रत्येक वर्श विकास आयुक्त (हस्त0), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दि ाा–निर्दे ाों के अनुसार दे ा एवं प्रदे ा में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्ता िल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्ता िल्प वस्तुओं की बिक्री पर वि ोश छूट प्रदान की जाती है तथा प्रद ानी/गोश्ठियों का भी आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी ा िल्पकारों की कार्य भालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्श 2009–10 के लिये भासन से रू0 2.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिससे प्रदे ा के हस्ता िल्प बाहुल्य 28 जनपदों में हस्ता िल्प सप्ताह सम्पन्न कराया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम वि वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजना

———————————————————————————————————

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदे ा सरकार द्वारा वर्श 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम वि वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्र ाक्षण उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) को स्थापना हेतु उ00प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) एवं प्र ाक्षण–कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) द्वारा ा िल्पियों के कार्यो को आधुनिक म ाीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्र ाक्षण प्रदान कर उनकी कार्य द ाा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्व हुई है।

योजनान्तर्गत दो वर्षीय प्रा िक्षण–कार्यक्रम के माध्यम से निर्धन ि ल्पकारों एवं उनके बच्चों को जिनकी ि क्षा कम से कम 8 पास हो को विभिन्न ट्रेडो जैसेः– फिटर कम वेल्डर तथा म ीनिस्ट में प्रारम्भिक वर्ष 1986 से वर्ष 2009 तक 786 प्रा िक्षार्थियों को प्रा िक्षण हेतु चयनित किया गया जिसमें से 577 प्रा िक्षार्थी सफलतापूर्वक प्रा िक्षण प्राप्त कर इस उद्योग के आधुनिक तकनीकी के लाभ से लाभान्वित हुये हैं। योजनान्तर्गत प्रा िक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से 80 प्रति ात लाभार्थी विभिन्न उद्योग में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं अथवा स्वंय का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं। योजना के सफल संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उक्त योजना अन्तर्गत धनरा ि रू0 7.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये रू0 7.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

जनपद रामपुर में हस्ता ि ल्प सामान्य सुविधा एवं प्र ि क्षण केन्द्र की स्थापना योजना

जनपद रामपुर में महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रामपुर की सूचना अनुसार जनपद में 6000 ि ल्पी, जरीजरदोजी एवं 5000 ि ल्पी पैचवर्क में लगे हैं।

वर्तमान में इस क्षेत्र के उत्पाद स्थानीय तथा दे ा के अन्य राज्यों में ही बिकते हैं तथा समय समय पर लगने वाले व्यापार मेलों व प्रदर्शनियां भी इनके लिये विक्रय का अच्छा साधन है। कुछ गिने चुने लोगों द्वारा दिल्ली स्थित निर्यातकों के माध्यम से लगभग रू0 50.00 करोड़ का निर्यात यू0के0, यू0एस0ए0, जापान, सउदी अरब दे ाों को जरी व जरदोजी का निर्यात होता है।

दिनांक 30–7–2004 की हस्ता ि ल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सहभागिता में एक दिवसीय सेमिनार रामपुर में आयोजित किया गया था। क्षेत्र के हस्ता ि ल्पियों के स्वंय सहायता समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित हस्ता ि ल्प उत्पादों के विक्रेताओं एवं उद्यमियों आदि द्वारा जनपद के हस्ता ि ल्प की अन्तराष्ट्रीय बाजार में पहुॅच को बढ़ाने के लिये एवं इनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रा िक्षण की व्यवस्था की मॉग उठाई गयी थी। इस प्रकार की कतिपय सुविधायें ि ल्पियों द्वारा निजी निवे ा से नहीं जुटाई जा सकती जो उत्पादों की गुणवत्ता के लिये आव यक है। अतः ि ल्पकारों के तकनीकी ज्ञान व कला कौ ाल हेतु प्रा िक्षण केन्द्र की स्थापना के साथ ही सामान्य सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये जाने की आव यकता महसूस की गई। जनपद रामपुर में हस्ता ि ल्प सामान्य सुविधा केन्द्र एवं प्रा िक्षण केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव के आलोक में भ ासन द्वारा रू0 567.12 लाख की योजना स्वीकृत की गई। जिसमें रू0 372.73 लाख भवन निर्माण के लिये रू0 67.00 लाख यन्त्र सन्यत्रों की स्थापना के लिये तथा रू0 127.40 लाख आवर्ती व्यय मद् में निर्धारित है।

उक्त परियोजना के भवन का निर्माण कार्य परियोजना की निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है जिसे वर्ष 2005–06 में स्वीकृत रू0 100.00 लाख, वर्ष 2006–07 में रू0 100.00 लाख, वर्ष 2007–08 में रू0 100.00 लाख एवं 2008–09 में 200.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। अतः निर्माण एजेन्सी को कुल धनरा ि रू0 372.00 लाख निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त किया जा चुका है। प्रा िक्षण केन्द्र लगभग बनकर तैयार है। प्रा िक्षण कार्यक्रम भ ीघ्र चालू कराने की व्यवस्था की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये रूपया 45.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

हस्ता ि ल्पियों के प्र ि क्षण तथा कौ ाल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्क ाप योजना

अ– हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्दे य है।यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास वाले प्रमुख 22 जनपदों में संचालित की जा रही है।, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होगें किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्यन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराते हुये 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया तथा 2009–10 में भी 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचलित है जिसके अन्तर्गत 150 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

ब– निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्त शिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 60 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित हें, जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही मॉग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नियमित एवं स्पासंर्ड वर्कशाप आयोजित करने का मुख्य उददेश्य है।यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियां बनाई जा रही हैं, संचालित कराई जा रही है। वर्तमान में प्रमुख हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्र वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा (बुलन्द ाहर), गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, रामपुर, इत्यादि है। इस योजनान्तर्गत वही पात्र होंगे जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं। इसमें किसी भौक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु वर्क ॉप में ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाता है जो नई डिजाईनों के विकास एवं उन्हें अपनाने में रूचि रखते हैं अथवा जिन्हें निर्यातक प्रायोजित करेंगे। वित्तीय वर्श 2007–08 में 240 िल्पी, वित्तीय वर्श 2008–09 में 240 िल्पी तथा वित्तीय वर्श 2009–10 में 200 िल्पी प्रिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

स–सहयोगीय व्यपारियों के अधीन डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण की योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास व बाजार के अनुरूप डिजाइने विकसित करने व अपनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जाती है परिवार की वार्षिक आय अथवा न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 240 शिल्पी, वित्तीय वर्ष 2008–09 में 240 शिल्पी प्रशिक्षित किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 240 शिल्पी 24 प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये योजनान्तर्गत रू0 60.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौ ाल ने प्रदे ा की िल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवे ा में कार्य करने के कारण दस्तकारों की भारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है । वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं, फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है । अतः उनके अनुत्पादक भोश जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आव यक है । इसी उद्दे य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना प्रदे ा के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत पें ान हेतु ऐसे ही िल्पकार/दस्तकार पात्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार के िल्प गुरू के रूप में चयनित किया गया है अथवा जो राश्ट्रीय हस्त िल्प पुरस्कार/राज्य सरकार के हस्त िल्प पुरस्कार/ दक्षता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर चुके होते हैं अथवा भविश्य में प्राप्त होता है किन्तु उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्श अव य होती है, अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त भोश जीवनकाल तक इस पें ान हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट होती है, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देय होता है। प्रत्येक वि िश्ट िल्पकार पें ानार्थी को रू0 1,000/– प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार के वार्शिक बजट से वर्श 2007–08 में 60 वि िश्ट िल्पकारों के लिये रू0 6.00 लाख, वर्श 2008–09 में 105 वि िश्ट िल्पकारों के लिये रू0 12.60 लाख तथा वर्श 2009–10 में 105 वि िश्ट िल्पकारों को पेंशन प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये कुल रू0 15.60 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना

यह योजना गढ़मुक्ते वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्त िल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के दस्तकारों की सहायता हेतु प्रदेश शासन की स्पे ाल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित हो रही है। प्रशिक्षण केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है जिसमें िल्पियों के लिये कच्चेमाल की उपलब्धता, डिजाइन डवलपमेन्ट का प्रिक्षण एवं बेहतर टूल्स एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है

जिससे इन दस्तकारों को अपने उत्पाद के लिये अधिक उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। प्रा िक्षण केन्द्र में 50 प्रा िक्षार्थियों को प्रति बैच में दो माह का प्रा िक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रू0 500/– प्रति प्रा िक्षार्थी मानदेय दिये जाने का प्राविधान है। उक्त प्रशिक्षण के दौरान द्वितीय माह में एक विकसित टूल किट जिसकी अनुमानित लागत रू0 1,000/– प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2007–08 में 300, वर्ष 2008–09 में 300 लाभार्थियों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान कराकर कार्यरत कराया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्राविधानित धनराशि रू0 33.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि रू0 16.50 लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद को आंवटित की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 33.00 लाख प्रस्तावित है।

तालिका –क (रूपये लाख में)

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(क)	आयोजनेत्तर योजनायें												
1	प्रदेश के हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना		4.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00		2.00	2.00
2	अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मानाया जाना		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
3	अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अर्न्तगत सहायता योजना।		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00
(ख)	आयोजनागत योजनायें												
1	जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना येाजना	72.73		72.73	0.01		0.01	0.01		0.01	45.00		45.00
2	हस्तशिल्पियों का कौशल विकास/ डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण/ डिजाइन वर्कशाप	31.50		31.50	50.00		50.00	50.00		50.00	60.00		60.00
3	विशिष्ट शिल्पकार के लिए पेंशन योजना	12.53		12.53	12.60		12.60	12.60		12.60	15.60		15.60
4	जनपद गाजियाबाद (गढ़मुक्तेश्वर) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र	16.50		16.50	33.00	–	33.00	33.00	–	33.00	33.00		33.00

	योग(क)	**133-26**	**13.00**	**146.26**	**95-61**	**13-00**	**108-61**	**95-61**	**13-00**	**108-61**	**153-60**	**11-00**	**164-60**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन												
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता					–शून्य–							
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत (रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**आयोजनेत्तर योजनायें**:– 03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 05–विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार 42–अन्य व्यय			4.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00		2.00	2.00
2	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 04–अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना, 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता, 42–अन्य व्यय			2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
3.	03''3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात सम्बर्द्धन 194–निर्यात सम्बर्द्धन तथा विपणन निकाय की सहायता 04–अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यलाय की परियोजना के अर्न्तगत सहायता 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता			7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	15
1	**आयोजनागत योजनायें:** 03''4851–ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 04–जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 24–वृहत निर्माणकार्य	72.73		72.73	0.01		0.01	0.01		0.01	45.00		45.00
2	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 18–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 42–अन्य व्यय	31.50		31.50	50.00		50.00	50.00		50.00	60.00		60.00
3	03''2851–ग्राम एवं लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय 04–शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	12.53		12.53	12.60		12.60	12.60		12.60	15.60		15.60
4	**अनुदान सं0''83''** 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनागत 104–हस्तशिल्प उद्योग 03 –गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन ,20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता, 27–सब्सिडी	16.50		16.50									
5	**अनुदान सं0''83''** 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद में मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन , 27–सब्सिडी				33.00	–	33.00	33.00	–	33.00	33.00		33.00
	योग	**133-26**	**13-00**	**146.26**	**95-61**	**13-00**	**108-61**	**95-61**	**13-00**	**108-61**	**153-60**	**11-00**	**164-60**

औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

नई विश्व आर्थिक नीति एवं ग्लोबलाईजेशन के आलोक में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार निवेशकों को प्रदेश एवं जनपदों में निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करें। नई औद्योगिक सेवा निवेश नीति–2004 प्रस्तर 34.81 में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं एवं औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक धनराशि एवं सहायता उपलब्ध करायेगी।

उ0प्र0 में विभिन्न आकारों के बृहद 80 एवं मिनी 168 औद्योगिक आस्थान स्थापित हैं। बृहद औद्योगिक आस्थान 56 जिलों में 80 स्थानों पर स्थापित हैं जिनमें 983 शेड और 3595 भूखण्ड विकसित हैं। जिनमें 2612 इकाइयॉ स्थापित हैं। इन बृहद औद्योगिक आस्थानों की स्थापना 7वें एवं 8वें दशक में की गयी है और 168 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना विकास खण्ड स्तर पर वर्ष 1985 से 1992 के मध्य की गयी हैं जिसमें 8061 भूखण्ड विकसित हैं। उक्त औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक सुविधाओं के लिए 10 वर्ष से उच्चीकरण के लिए कोई धनराशि/सहायता की व्यवस्था न होने से अवस्थापना सुविधा की कमी होती चली गयी है। अतः वर्तमान के विश्व प्रतिबद्धता के युग में लघु उद्यमियों को अपनी इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की नितान्त आवश्यकता है।

बृहद औद्योगिक आस्थानों में इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 398.00 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है जिससे निम्नलिखित 16 जनपदों में 16 बृहद औद्योगिक आस्थानों में सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये गये हैं।

कमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, सलेमपुर, देवरिया	देवरिया	रू0 30.35
2.	औद्योगिक आस्थान, रामकोला	कुसीनगर	रू0 25.53
3.	औद्योगिक आस्थान, चौडगरा	फतेहपुर	रू0 22.33
4.	औद्योगिक आस्थान, कालपी रोड पनकी	कानपुर नगर	रू0 40.04
5.	औद्योगिक आस्थान, रनियॉ	कानपुर देहात	रू0 12.25
6.	औद्योगिक आस्थान, फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद	रू0 44.78
7.	औद्योगिक आस्थान, मकरन्द नगर	कन्नौज	रू0 13.65
8.	औद्योगिक आस्थान, गोलागोकरन, राजापुर	लखीमपुर खीरी	रू0 15.40
9.	औद्योगिक आस्थान, नघेटा	हरदोई	रू0 13.84
10.	औद्योगिक आस्थान, खैराबाद सराय मल्लई	सीतापुर	रू0 34.90
11.	औद्योगिक आस्थान, रसड़ा	बलिया	रू0 10.66
12.	औद्योगिक आस्थान, बजरिया	महोबा	रू0 13.95
13.	औद्योगिक आस्थान, गद्दोपुर,बीकापुर	फैजाबाद	रू0 06.70
14.	औद्योगिक आस्थान, सी0बी0गंज,भोजीपुरा	बरेंली	रू0 72.94
15.	औद्योगिक आस्थान, रोजा,	भाहजहॉपुर	रू0 24.68
16.	औद्योगिक आस्थान, हरथला	मुरादाबाद	रू0 16.00
	कुल योग		रू0 398.00

वर्ष 2008–09 में प्रदे ा के निम्न 07 जनपदों में महती आव यकतानुसार कार्य कराये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, परतापुर, मेरठ	मेरठ	रू0 40.00
2.	औद्योगिक आस्थान, ललितपुर	ललितपुर	रू0 15.01
3.	औद्योगिक आस्थान, बारांबंकी	बाराबंकी	रू0 14.99
4.	औद्योगिक आस्थान, चौदपुर,महे ापुर,वाराणसी	वराणसी	रू0 15.30
5.	औद्योगिक आस्थान, एटा	एटा	रू0 08.21
6.	औद्योगिक आस्थान, का ागंज,कॉ ीराम नगर	कॉ ीराम नगर	रू0 02.00
7.	औद्योगिक आस्थान, सौराव, इलाहाबाद	इलाहाबाद	रू0 04.49
	कुल योग		रू0 100.00

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए रू0 100.00 लाख धनरा ि की व्यवस्था है, जिससे निम्न 05 जनपदों के 05 औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण से सम्बंधित निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, परतापुर, मेरठ	मेरठ	रू0 40.00
2.	औद्योगिक आस्थान, अलीगढ़	अलीगढ़	रू0 5.97
3.	औद्योगिक आस्थान, लौनी,	गाजियाबाद	रू0 24.03
4.	औद्योगिक आस्थान, सुखपालनगर	प्रतापगढ़	रू0 11.74
5.	औद्योगिक आस्थान, घोसी	मऊनाथभंजन	रू0 18.26
	कुल योग		रू0 100.00

वर्ष 2010–11 के लिए औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु औद्योगिक आस्थानों में महती आवश्यकता के निर्माण कार्य कराने के लिए रू0 100.00 लाख धनराशि प्रस्तावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	100.00	––	100.00	100.00	––	100.00	100.00	––	100.00	100.00	––	100.00
	योग(क)	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												

	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	03''4851''–ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय –आयोजनागत, 800– अन्य व्यय, 06–औद्योंगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण													
	24–बृहत निर्माण कार्य		40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00
	25–लघु निर्माण कार्य		30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
	29– अनुरक्षण		30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
	योग		**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978–79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

1–लद्यु एवं ग्रामीण उद्योंगो को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना ।

2–उद्योंगो की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधांए उपलब्ध कराना ।

3–लद्यु एवं छोटे उद्योंगो के विकास के लिये अवस्थापना का प्रबन्धक,तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना ।

4–लद्यु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियॉ/स्वीकृतियॉ शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की है। इन जिला उद्योग केन्द्रों में लद्यु उद्योगों के अस्थायी/स्थाई पंजीकरण भूमि एवं भवन, कच्चा माल, मशीन यंत्र, उपकरण संयत्र तकनीकी मार्गदर्शन ऋण एवं विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है जिसके अधीन सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक (विपणन) परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक ऋण आदि कार्यरत है। तहसील/ब्लाक स्तर, पर उद्यमियों को जानकारी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सहायक प्रबन्धक कार्यरत है।

जिला उद्योग केन्द्र का शुभारम्भ भारत सरकार की सहायता से किया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पुनः परीक्षण कराकर महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रत्येक जनपद में 30 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया । जो अब प्रदेश के पुराने 48 जनपदों में यह पैटर्न लागू है जिसमें महाप्रबन्धक तथा 9 सहायक प्रबंधक को सम्मिलित करते हुये 30 अधिकारी एवं कर्मचारी है।

कानपुर देहात, महोबा, महराजगंज, सिद्वार्थ नगर सोनभद्र फिरोजाबाद, मऊ, भदोही , कुशीनगर , कौसाम्बी , महामायानगर, गौतमबुद्व नगर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदोली , ज्योतिबाफूले नगर,अम्बेदकर नगर, कन्नौज, बागपत तथा कशीराम नगर में अभी महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं हुआ है। शासन द्वारा औरैया तथा सन्तकबीर नगर दो नये जनपदों का गठन किया गया है। इन जनपदों में अभी जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं है। जिनकी स्थापना हेतु प्रयास जारी है ताकि इन जनपदों में भी औद्योगीकरण में तीव्रता लाई जा सके ।

जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिला स्तर एवं जिला उद्योग केन्द्र योजना में संविलीन योजनाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं भरे पदों की सूचना निम्नवत् हैः–

जिला उद्योग केन्द्र (मुख्यालय)

जिला उद्योग केन्द्र योजना (मुख्यालय स्टाफ)

कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	नियोजन अधिकारी	5000-150-8000	1	0
2	सांख्यकीय सहायक	5500-175-9000	1	1
3	सांख्यकीय सहायक	5500-175-9000	1	1
4	सम्प्रेक्षक (आडिटर)	5500-175-9000	1	1
5	प्राविधिक सहायक	5000-150-8000	1	1
6	वरिष्ठ सहायक	4500-125-7000	1	1
7	अन्वेषक कम संगणक	5000-150-8000	2	2
8	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	1	1

9	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-80-4590	4	4
10	अनुचर	2550-55-60-3200	2	2
11	अर्दली	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**16**	**15**

जिला उद्योग केन्द्र योजना (फील्ड स्टाफ)

कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	महाप्रबन्धक	10000-325-15200	66	40
2	प्रबन्धक (ऋण)	8000-275-13500	66	40
3	प्रबन्धक (विपणन)	8000-275-13500	54	27
4	प्रबन्धक (तकनीकी)	8000-275-13500	66	24
5	प्रबन्धक (परियोजना)	8000-275-13500	48	13
6	प्रधान लिपिक	4500-125-7000	48	48
7	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	96	96
8	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-80-4590	181	181
9	आशुलिपिक	4000-100-6000	96	96
10	सॉख्यकीय सहायक	5500-175-9000	48	40
11	अन्वेषक कम संगणक	5000-150-8000	76	76
12	सहायक प्रबन्धक	5000-150-8000	432	322
13	ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक	5500-175-9000	48	26
14	ड्राइवर	3050-75-80-4590	48	40
15	दफ्तरी	2610-60-65-3540	48	48
16	चपरासी	2550-55-60-3200	65	65
17	चौकीदार	2550-55-60-3200	65	65
18	स्वच्छकार	2550-55-60-3200	48	48
	योग		**1599**	**1295**

बैक लाग के व्दारा भरे अधिसंख्य पदो पर कार्यरत कार्मिक

कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	**कनिष्ठ लिपिक**	3050-75-80-4590	**36**	**36**
2	**आशुलिपिक**	4000-100-6000	**11**	**11**
3	**अनुचर**	2550-55-60-3200	**17**	**17**
	योग		**64**	**64**
	पदो का योग		**1679**	**1374**

	अतिरिक्त/सरप्लस कार्यरत कार्मिक	_		
क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	**औद्योगिक पर्यवेक्षक**	3200-85-4900	0	55
2	**पर्यवेक्षक कम आंकिक**	3050-75-80-4590	0	1
3	**अनुचर**	2550-55-60-3200	0	40
	योग		**0**	**96**

नवसृजित जनपद कन्नौज, बागपत तथा कांशीराम नगर में सृजित पद एवं कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
	महाप्रबन्धक	10000-325-15200	3	1
	प्रबन्धक ऋण	8000-275-13500	3	0
	प्रबन्धक तकनीकी	8000-275-13500	3	2
	आशुलिपिक	4000-100-6000	3	3
	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–1	4000-100-6000	3	3
	अनुचर	2550-55-60-3200	3	3
	चौकीदार	2550-55-60-3200	3	3
			21	**15**
	महायोग		**1700**	**1485**

जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र एवं संविलीन योजनायें

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	**चीनी मिट्टी पात्र विकास केन्द्र,सहारनपुर**	_		
1	चित्रकार एवं डिजाइनर	5000-150-8000	1	0
2	भटठी चलाने वाला	3050-75-80-4590	1	0
3	प्राविधिक परिचर	2610-60-6503540	1	1
4	परिचर	2550-55-60-3200	1	1
5	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
_	**योग**		**5**	**3**
2	**हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र,झाँसी**			
क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	प्रसार अधिकारी	5000-150-8000	1	0
2	बुनाई प्रशिक्षक	4000-100-6000	1	0
3	प्राविधिक परिचर	2610-60-65-3540	1	1

	योग		**3**	**1**
3	**मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र झॉसी**	–		
क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	प्रसार अधिकारी	5000-150-8000	1	0
2	फायर मैन	3200-85-4900	1	0
3	वर्कशाप मैकेनिक	3050-75-80-4590	1	0
4	प्राविधिक परिचर	2610-60-65-3540	1	1
	योग		**4**	**1**

4 कृषि संयत्र का प्रशिक्षण केन्द्र,झॉसी –

क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत** पद	**भरे** पद
1	मास्टर क्राफ्टमैन	5000-150-8000	1	0
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-80-4590	1	1
3	प्राविधिक परिचर	2610-60-65-3540	1	1
4	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**4**	**3**

5 चमड़ा एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र जौनपुर

क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	विकास अधिकारी (चर्म)	10000-15200	1	0
2	रिसर्च आफीसर (चर्म)	8000-275-13500	1	0
3	प्रशिक्षक	3200-85-4900	1	1
	चौकीदार/अनुचर	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**4**	**2**

6 **प्लास्टिक का सामान बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र, फतेहपुर**

क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	प्रसार अधिकारी	5000-150-8000	1	0
2	परिचर	2550-55-60-3200	1	1
3	चौकीदार/सफाई मजदूर	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**3**	**2**

7 कृषि संयत्र का प्रशिक्षण केन्द्र,जौनपुर

कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	फोर मैन/सीनियर टेकनिसियन	5000-150-8000	1	0
2	लेखा लिपिक	4000-100-6000	1	1
3	प्रशिक्षक	3200-85-4900	1	1
4	प्राविधिक परिचर	2550-55-60-3200	1	1
5	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**5**	**4**
8	**चर्म कला प्रशिक्षण केन्द्र,इलाहाबाद**			
कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	प्रशिक्षक	3200-85-4900	1	1
2	परिचर/चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**2**	**2**
9	**महिला सिलाई कढाई केन्द्र,इलाहाबाद**			
कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद
1	प्रशिक्षका	3050-75-80-4590	3	2
	योग		**3**	**2**
10	**प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यकम योजना**			
कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	मैकेनिकल इन्जीनियर	8000-275-13500	1	0
2	फोरमैन	5000-150-8000	19	6
3	प्रशिक्षक	4000-100-6000	71	52
4	टंकक/स्टोरकीपर	3050-75-80-4590	19	19
5	लेखाकार	4000-100-6000	19	19
6	ड्राइवर	3050-75-80-4590	2	2
7	टेक्निकल अटेन्डेट	2610-60-65-3540	19	19
8	चपरासी	2550-55-60-3200	19	19
9	स्वीपर	2550-55-60-3200	19	19
10	चौकीदार(प्रशिक्षण केन्द्र पर)	2550-55-60-3200	19	19
11	चौकीदार (हास्टल पर)	2550-55-60-3200	10	10
	योग		**217**	**184**
11	**औद्योगिक आस्थान योजना**			
कमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	कार्यालय अधीक्षक	5000-150-8000	1	1

2	सहायक प्रबन्धक	5000-150-8000	18	10
3	ज्येष्ठ सहायक	4500-125-7000	2	2
4	आशुलिपिक	4000-100-6000	1	1
5	अन्वेषक कम संगणक	5000-150-8000	1	1
6	मानचित्रकार	4000-100-6000	1	1
7	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	16	16
8	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-80-4590	38	38
9	सुपरवाइजर	3200-85-4900	2	1
10	फोरमैन	5000-150-8000	6	0
11	नलकूप चालक	2610-60-65-3540	6	5
12	चपरासी	2550-55-60-3200	37	37
13	डुप्लीकेटिंग आपरेटर	2610-60-65-3540	1	1
14	चौकीदार	2550-55-60-3200	55	55
15	टेजरी मैसेन्जर	2550-55-60-3200	1	1
16	मशीनिस्ट	2610-60-65-3540	1	1
	योग		**187**	**171**
12	**हस्तशिल्प औद्योगिक आस्थानों की**			
क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	**स्थापना एवं बस्ती निर्माण**			
2	मैनेजर	4500-125-7000	1	0
3	कनिष्ठ लेखा लिपिक	4000-100-6000	1	1
4	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	3050-75-80-4590	2	2
5	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
6	माली	2550-55-60-3200	2	2
7	चपरासी	2550-55-60-3200	2	2
8	स्वीपर	2550-55-60-3200	1	1
9	**योग**		**10**	**9**
13	**अग्रगामी शोध एवं विघायन प्रयोशाला,खुर्जा**			
क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	रिसर्च केमिस्ट(पौर्सलीन)	8000-275-13500	1	0
2	रिसर्च सहायक सिरामिक्स	5000-150-8000	2	0
3	लेखाकार / लिपिक	4000-100-6000	1	1
4	लिपिक	3050-75-80-4590	1	1
5	अर्दली	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**6**	**3**

14 राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र ,खुर्जा

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे
			पद	पद
1	पाटरी विकास अधिकारी	10000-325-15200	1	0
2	सिरामिस्ट	8000-275-13500	1	0
3	प्राविधिक सहायक	5000-150-8000	3	0
4	प्रयोगशाला सहायक	4500-125-7000	2	0
5	प्राविधिक निरीक्षक	4500-125-7000	1	0
6	माडलर एवं डिजाइनर	4500-125-7000	2	0
7	डेकोरेशन आर्टिस्ट	5000-150-8000	1	0
8	मुख्य लिपिक	4500-125-7000	1	1
9	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	2	2
10	आशुलिपिक	4000-100-6000	1	1
11	लिपिक/टंकक	3050-75-80-4590	3	3
12	मोल्डर एवं प्रोसेसिंग	3050-75-80-4590	2	0
13	मास्टर पार्टस	3050-75-80-4590	1	0
14	फारिंग प्रशिक्षक	3050-75-80-4590	1	0
15	फायर मैन	3050-75-80-4590	1	1
16	प्रयोगशला परिचर	2610-60-65-3540	3	3
17	अर्दली	2550-55-60-3200	1	1
18	चपरासी	2550-55-60-3200	3	3
19	फायरमैन परिचर	2610-60-65-3540	1	1
20	स्वीपर	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**32**	**17**
15	**राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र चुनार**			
क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	प्राविधिक सहायक	5000-150-8000	1	0
2	माडलर एवं डिजाइनर	4500-125-7000	1	0
3	लेखा लिपिक	4000-100-6000	1	1
4	मैकेनिकल फोरमैन	3050-75-80-4590	2	0
5	भटठी सहायक	3050-75-80-4590	1	0
6	लिपिक	3050-75-80-4590	3	3
7	मोल्डर	3050-75-80-4590	1	0
8	परिचर	2550-55-60-3200	2	2
9	चौकीदार	2550-55-60-3200	2	2

10	अनुचर	2550-55-60-3200	3	3
11	स्वीपर	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**18**	**12**

16 उच्च एवं आतित संवाहको का परीक्षण प्रयोगशाला खुर्जा

क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	अभियन्ता अधीक्षक	8000-275-13500	1	0
2	सिरामिस्ट	8000-275-13500	1	0
3	सहायक विधुत अभियन्ता	5500-175-9000	1	0
4	यांत्रिक सहायक	4500-125-7000	1	0
5	कनिष्ठ लेखाकार	4000-100-6000	1	1
6	भन्डार रक्षक	3050-75-80-4590	1	1
7	विधुत मिस्त्री	3050-75-80-4590	1	1
8	फिटर	3050-75-80-4590	1	1
9	प्रयोगशाला परिचर	2610-60-65-3540	2	2
10	अर्दली	2550-55-60-3200	1	1
11	चपरासी	2550-55-60-3200	1	1
12	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**13**	**9**
17	**पाटरी विकास केन्द्र,(जिला उद्योग केन्द्र योजना)झॉसी**			
क्रमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत**	**भरे**
			पद	पद
1	मुत्तिका शिल्पी	8000-275-13500	1	0
2	रिसर्च पोर्रसलीन सहायक	5000-150-8000	1	0
3	मैकेनिक फोरमैन	5500-175-9000	1	0
4	लेखाकार	4000-100-6000	1	1
5	टंकक/लिपिक	3050-75-80-4590	1	1
6	भन्डार रक्षक	3050-75-80-4590	1	1
7	चपरासी	2550-55-60-3200	1	1
8	चौकीदार	2550-55-60-3200	1	1
9	प्रयोगशाला परिचर	2610-60-65-3540	1	1
10	स्वीपर	2550-55-60-3200	1	1
	योग		**10**	**7**

निदे□ालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं का आधुनिकीरण/उच्चीकरण :–

अ– जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माणः–

प्रदे ा के सभी 71 जनपदों में उद्यमियों की सुविधार्थ जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय स्थापित हैं, परन्तु 16 नवसृजित जनपदों चित्रकूट, हाथरस (महामायानगर), कन्नौज, सोनभद्र, अम्बेदकरनगर, संतरविदासनगर (भदोही), गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, औरैया, बागपत, कौ ाम्बी श्रावस्ती, जे0पी0नगर, संत कबीरनगर, कां ाराम नगर एवं चन्दौली में विभागीय कार्यालय भवन नहीं थे।

वर्ष 2008–09 में दो जनपदों कन्नौज एवं सोनभद्र में जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण (विश्लेषित लागत प्रति कार्यालय भवन रू0 38.84 लाख की दर से कुल रू0 77.68 लाख से) कराया जा रहा है।

वर्ष 2009–10 में दो जिला उद्योग केन्द्रों क्रमशः चित्रकूट एवं महामायानगर हेतु (विश्लेषित लागत क्रमशः रू0 47.15 एवं 46.20 लाख (कुल 93.35 लाख) के सापेक्ष रू0 84.00 लाख की व्यवस्था है, जिससे निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत दो जनपदों क्रमशः सन्त रविदासनगर (भदोही) एवं अम्बेदकर नगर में जिला उद्योग केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु प्रति जनपद रू0 47.15 की दर से कुल रू0 94.30 लाख का व्यय अनुमानित है। अतः वर्ष 2010–11 में रू0 94.30 लाख की धनराशि उक्त दोनों जनपदों के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

ब– कम्प्यूटरीकरणः–

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यः–

1 आधुनिक एवं दक्ष कार्य संस्कृति उपलब्ध कराना
2 उद्योग सम्बंधी विशिष्ट/नवीनतम सूचनाओं से उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों को सुसज्जित करना।
3 उचित प्रबन्ध हेतु ई–गवर्नेन्स व्यवस्था को लागू करना ।
4 निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के मध्य सूचनाओं को तीव्र गति आदान–प्रदान करना।।

उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम/त्वरित उपयोग उद्योग सम्बंधी नवीनतम सूचनाओं/तकनीकी गतिविधियों के सुसंगत एवं बेहतर संचालन/प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, परिक्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 30.00 लाख से प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों को विभिन्न कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं जिससे ई–गवर्नेन्स व्यवस्था को प्रभावी/सुचारू रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में कम्प्यूटर , प्रिन्टर, स्कैनर, इण्टरनेट सुविधा इत्यादि स्थापित की जा चुकी है।

स–जिला स्तर पर सिंगल टेबुल योजना

प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने एवं अनुकूल वातावरण सृजित करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियॉ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था लागू की गयी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत

समय से स्वीकृतियॉ जारी कराने के लिए प्रत्येक माह बैठकें की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठकों के लिए सूचनायें, डाक व्यय, एजेण्डा नोट्स, कार्यवृत्त एवं सन्दर्भो आदि के लिये प्रत्येक माह व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चलायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये 71 जनपदों में योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 17.50 लाख की आवश्यकता है।

वर्षवार भौतिक प्रगति निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन–पत्र	निस्तारित आवेदन–पत्र
2007–08	57856	57856
2008–09	51135	51135
2009–10	33849	33618 (नवम्बर,09 तक)

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जिला उद्योग केन्द्र का भवन निर्माण	77.68		77.68	84.00		84.00	84.00		84.00	94.30		94.30
2.	कम्प्यूटरीकरण (कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय)	40.50		40.50	0.01		0.01	0.01		0.01			
3	जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल बिन्डो का कार्यान्वयन	**16.69**		**16.69**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**
	योग	**134.87**		**134.87**	**101.51**		**101.51**	**101.51**		**101.51**	**111.80**		**111.80**

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रसं	अनुदान संख्या	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजना गत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना गत	आयोजनेत्तर	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	03''4059''–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01–कार्यालय भवन, 051–निर्माण, 03–जिला उद्योग केन्द्र का भवन निर्माण, 24–बृहत निर्माण कार्य		77.68		77.68	84.00	–	84.00	84.00	–	84.00	94.30		94.30
2	**03'' 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनागत 102–लघु उद्योग** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय		40.50		40.50	0.01		0.01	0.01		0.01			
3	**03'' 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनागत 102–लघु उद्योग,** 09 – जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल बिन्डो का कार्यान्वयन(जिला योजना), 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 42–अन्य व्यय		**16.69**		**16.69**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**
	योग		**134.87**		**134.87**	**101.51**		**101.51**	**101.51**		**101.51**	**111.80**		**111.80**

उद्योग निदे ालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि हेतु प्र ाक्षण योजना तथा वर्क ाप, सेमिनार एवं भ्रमण योजना

उद्योग निदे ालय द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्वि हेतु निम्न योजनाये संचालित हैः–

1 अधिकारियो/कर्मचारियो की दक्षता अभिवृद्वि हेतु प्र ाक्षण योजना (आयोजनेत्तर)
2 वर्क ाप,सेमिनार एवं भ्रमण कार्यक्रम (आयोजनेत्तर)

प्रदेश के सुनियोजित औद्योगीकरण एवं उपयुक्त वातावरण के सृजन तथा शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। जिला उद्योग केन्द्र जनपदों में समन्वय एवं प्रसार का कार्य कर रहे हैं तथा उद्यमियों को इस्कार्ट सेवा उपलब्ध कराना समस्त क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु बन गया है। अतः, प्रभावी समन्वय के लिए दक्षता, सम्पर्क एवं परामर्श हेतु पर्याप्त जानकारी और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभागों के साथ–साथ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी अधिकारियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है, इसके अतिरिक्त समसामयिक परिवर्तनों के अनुसार दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन महत्वपूर्ण है।

उद्योग व्यापार तथा वाणिज्यिक जगत मे हो रहे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सेमिनार तथा कार्यशालाएं अधिकारियों को नीतियों, रणनीतियों, कार्यशैली तथा दृष्टिकोणों के पुनरीक्षण तथा इनमें निहित कमियों और त्रुटियों को चिन्हित करने का का अवसर प्रदान करते हैं। संभावित परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण और आवश्यक तैयारियों पर विचार करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफार्म सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त ऐसे संस्थानों के भ्रमण से नये अध्ययनों, शैक्षिक शोधों और अन्य राज्यों में प्रारम्भ की गयी नई नीतियों और कार्यक्रमों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय वर्कशापों और सेमिनारों का आयोजन विभिन्न विषयों तथा क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित बिन्दुओ पर अत्यन्त उपयोगी है। अन्य राज्यों के भ्रमण से उनके द्वारा प्रारम्भ की गई नई परियोजनाओं तथा नये प्रयोगों की सफलता का अध्ययन करने का अवसर ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों को अपने प्रदेश में अपनाने के लिए आवश्यक है।

उद्योग व्यापार तथा वाणिज्यिक जगत मे हो रहे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतिगत परिवर्तनों के अनुसार नवीन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये विभाग के संरचनात्मक पुनर्गठन, कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा निदेशालय, परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला उद्योग केन्द्रों में अवस्थापना आवश्यकताओं के आकलन एवं तदनुसार संस्तुतियां तैयार करने के लिए विषय विशेष पर आधारित डायग्नास्टिक स्टडी नियमित रूप से कराये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश स्तरीय विभिन्न विभागों और प्रदेश के बाहर की परिस्थितियों, संस्थाओं एवं परियोजनाओं का समय–समय पर अध्ययन नई योजनाओं के सृजन के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन कराये जाने का प्रस्ताव है।

प्रगति विवरण, 2006–07 से 2009–10 तक

क्र0	वर्ष	बजट		योग	व्यय	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षित कार्मिको की संख्या
		आयोजनेत्तर	आयोजनागत				
1	2007–08	24.50 लाख	भून्य	24.48 लाख	24.48 लाख	25	508
2	2008–09	21.45 लाख	00.08 लाख	21.53 लाख	20.47 लाख	45	741
3	2009–10 (दिसम्बर,2009)	21.45 लाख	भून्य	21.45 लाख	15.26 लाख	34	769

2010–11 हेतु प्रस्ताव

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शासनादेश संख्या–बी–1–3783 दस– 2003 –12(2)/2004, दिनांक 17–10–2003 से प्रशिक्षण मद में वेतन बजट के एक प्रतिशत के समतुल्य बजट आवंटन निर्धारित हैं। वर्ष, 2010–11 में इसी प्रकार लगभग 650 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कर्मचारियों/ अधिकारियों की प्रशिक्षण योजना	0.08	18.49	18.57		19.45	19.45		19.45	19.45		47.38	47.38
2	अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेमीनार वर्कशाप तथा भ्रमण कार्यक्रम		1.90	1.90		2.00	2.00		2.00	2.00			
	योग	**0.08**	**20.39**	**20.47**		**21.45**	**21.45**		**21.45**	**21.45**		**47.38**	**47.38**

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रसं	अनुदान संख्या	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1–क	03''2852–उद्योग– आयोजनेत्तर 80–सामान्य 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			5.65	5.65		5.95	5.95		5.95	5.95		15.01	15.01
1–ख	03''2851– ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 06–जिला उद्योग केन्द्र योजना 44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			12.84	12.84		13.50	13.50		13.50	13.50		32.37	32.37
2	03''2851– ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 15–जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों, 44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			1.90	1.90		2.00	2.00		2.00	2.00			
3	03''2852–उद्योग– आयोजनागत 80–सामान्य 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		0.08		0.08									
	योग		**0.08**	**20.39**	**20.47**		**21.45**	**21.45**		**21.45**	**21.45**		**47.38**	**47.38**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

यह योजना वि ोश रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए लागू की जा रही है। इस समुदाय के अधिकां ा लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा इनमें से अधिकां ा लाभार्थी दूर–दराज गांव में रहते हैं। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसे लाभाथिर्यों को चयनित कर उनमें स्किल्ड डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्र ाक्षण प्रदान किया जाय। यह तभी सम्भव होगा जब लाभार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सांयकाल की चाय आदि के व्यय का वहन किया जाय ताकि प्र ाक्षणोपरान्त लाभार्थी स्वयं को उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सके अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति उपलब्ध हो सकें तथा वि ोश रूचित के साथ पूर्ण समय तक प्र ाक्षण प्राप्त कर सके तथा प्र ाक्षणोपरान्त एक कु ाल कारीगर बनें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करने तथा समिति को उक्त प्र ाक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पर नवयुवक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में कु ालता बढ़ाने हेतु एक सामूहिक प्र ाक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेड आच्छादित होंगेः–

<u>प्रशिक्षण निम्नलिखित ट्रेडों में दिया जायेगा :–</u>

1–प्लम्बरिंग
2–कम्प्यूटर प्रशिक्षण
3–टेलरिंग
4–रेंफीजरेशन
5–मोबाइल/इलेक्ट्रानिक आइटम रिपेयरिंग
6–कम्प्यूटर हार्डवेयर
7– व्यूटीशियन
8– इलेक्ट्रिशियन
9– मैकेनिकल एप्लायन्सेज
10– एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्टस
11– फैशन डिजाईनिंग
12–स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कोई भी ट्रेड।

प्रा िक्षणर्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रा िक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रा िक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जायेगा। प्रा िक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के प चात प्रा िक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जायेगी। इस प्रकार प्रा िक्षण प्राप्त व्यक्ति स्थानीय आव यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में कर सकेंगे।

52 व्यक्तियों के एक बैच को प्रा िक्षण उन 71 जिला उद्योग केन्द्रों पर दिया जायेगा, जहां उनके निजी भवन हों तथा अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हों। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र श्रावस्ती–(05 प्रा िक्षार्थी), बहराइच(05 प्रा िक्षार्थी) गोरखपुर (05 प्रा िक्षार्थियों), बलरामपुर(05 प्रा िक्षार्थियों), सिद्धार्थ नगर(05 प्रा िक्षार्थियों), लखीमपुर(04 प्रा िक्षार्थियों), जनपदों में अनुसूचित जनजाति के कुल 29 अभ्यर्थियों को प्रा िक्षित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति सबप्लान के अन्तर्गत 3692 व्यक्ति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 29 व्यक्ति कुल 3721 व्यक्तियों को प्रा िक्षित किये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार 71 जनपदों में वर्ष 2010–11 में प्रा िक्षण कार्यक्रम चलाये जाने हेतु आवर्ती व्यय रू0 319.00 लाख की आव यकता होगी तथा यह प्रा िक्षण कार्यक्रम अनुदान संख्या– 81 तथा 83 के अन्तर्गत स्पे ाल कम्पोनेन्ट प्लान योजना में समाज कल्याण विभाग से धनरा ि प्राप्त होने के प चात संचालित किये जायेंगे।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण	399.05		399.05	269.00		269.00	269.00		269.00	319.00		319.00
	योग(क)	**399.05**		**399.05**	**269.00**		**269.00**	**269.00**		**269.00**	**319.00**		**319.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के स्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**अनुदान सं0–83** "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग–आयोजनागत– 06– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 20 सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता , 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	397.05		397.05.									
2	**अनुदान सं0–83** "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 789– अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 03– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वःरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय				267.00		267.00	267.00		267.00	317.00		317.00

3.	**अनुदान सं0–81** ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग–आयोजनागत– 04– अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 20 सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	2.00		2.00										
4	**अनुदान सं0–81** ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 03–अनुसूचित जन जाति व्यक्तियों के लिए स्वःरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता				2.00	–	2.00	2.00	–	2.00	2.00	–	2.00
		योग(ग)	**399.05**		**399.05**	**269.00**		**269.00**	**269.00**		**269.00**	**319.00**		**319.00**

राज्य पूंजी उपादान योजना

प्रदे ा के औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदे ा एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के जनपदों में पूॅजी निवे ा को प्रोत्साहित करने एवं इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति ाील बनाने के प्रमुख उद्दे य से भ्ाासनादे ा सं0 793/18–5–2006–08(जी'–1)/2004 दिनॉक 9–06–06 द्वारा पूर्वांचल के 29 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में राज्यपूॅजी उपादान योजना लागू की गयी थी, जो दिनॉक 31.03.2008 तक लागू रहीं।

भ्ाासनादे ा संख्या–1379/18–8–2008–8(जी–1), दिनॉक 30.01.2009 द्वारा राज्य पूॅजी उपादान योजनान्तर्गत वर्श 2006–07 में 12 पात्र इकाईयों को वर्श 2008–09 में रू0 48,18,466.00 वितरित किया गया है।

र्श 2007–08 में स्थापित 31 पात्र इकाईयों के लिए रू0 1,06,06,843.00 एवं वर्श 2006–07 की भ्ोश 2 इकाइयों हेतु रू0 7.94 लाख कुल धनरा ि रू0 1,14,00,843.00 (एक करोड़ चौदह लाख आठ सौ तैतालिस) की आव यकता है।

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्यपूँजी उपादान	48.18		48.18	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
2	ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाईयों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान योजना				0.01		0.01	0.01		0.01		0.01	0.01
	योग	48.18		**48.18**	**0.02**		**0.02**	**0.02**		**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.02**

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0/ मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुदान सं0–03 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102– लघु उद्योग 19– राज्यपूॅजी उपादान 20–सहा0अनु0/ अं ादान/राज्य सहायता	48.18		48.18	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
2	अनुदान सं0–03 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102– लघु उद्योग 21 ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाईयों के लिए विशेष राज्यपूॅजी उपादान योजना 27 सब्सिडी				0.01		0.01	0.01		0.01		0.01	0.01
	योग(ग)	48.18		**48.18**	**0.02**		**0.02**	**0.02**		**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.02**

उत्तर प्रदे□ा में गणना योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकड़ों का संग्रहण (कलैक□ान ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम0एस0एम0ई0)

<table>
<tr><td>1–योजना का नाम</td><td>कलैक ान ऑफ स्टेटिस्टिक्स एम0एस0एम0ई0</td></tr>
<tr><td>2–योजना प्रारंभ होने का वर्श</td><td>1978–79</td></tr>
<tr><td>3–योजना के उद्दे य</td><td>

माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज (उद्यमों) फ्रेम संरचना, सं ोधन एवं आधुनान्तीकरण।
माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज क्षेत्र के वर्गीकृत एवं आर्थिक विवरणों (पूंजीनिवे ा, रोजगार सृजन, निर्यात, कच्चेमाल की आव यकता/खपत, उत्पादन क्षमता/उत्पादन मात्रा/वैल्यू) के अतिरिक्त इस क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता के कारणों का चिन्हांकन।
सेन्सस सर्वे ।
सैम्पुल सर्वे–सेन्सस परिणामों का आधुनान्तीकरण ।
डायग्नोस्टिक्स सर्वे (रूग्णता के कारणों का चिन्हांकन)
आई0आई0पी0 सर्वे (उत्पादन/सेवा क्षेत्र की वृद्धिदर का आंकलन)

</td></tr>
<tr><td>4–योजना में तैनात स्टाफ का विवरण</td><td>
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>पदों का विवरण</th><th>अनुमोदित पद</th><th>भरे पद</th><th>रिक्त पद</th></tr>
<tr><td>1–</td><td>सांख्यिकीय सहायक
वेतनमान रु09300–34800(ग्रेड–पेरू04200)</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2–</td><td>इन्वेस्टीगेटर–कम–कम्प्यूटर
वेतनमान रु09300–34800(ग्रेड–पेरू04200)</td><td>8</td><td>1</td><td>7</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5–योजना में व्यय/प्रतिपूर्ति (तीन वर्शों के विवरण)</td><td>
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वर्श</th><th>राज्य सरकार से स्वीकृति (लाख रु0 में)</th><th>व्यय की गयी धनरा□ा (लाख रु0 में)</th><th>भारत सरकार से प्रतिपूर्ति(लाख रु0 में)</th></tr>
<tr><td>1–</td><td>2007–08</td><td>127–07</td><td>1,17–38</td><td>119–09</td></tr>
<tr><td>2–</td><td>2008–09</td><td>2,08–05</td><td>1,96–40</td><td>239–00</td></tr>
<tr><td>3–</td><td>2009–10</td><td>27–97</td><td>11–48(दिसम्बर–09तक)</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6–योजना के मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण</td><td>
<u>अ–फ्रेम संरचना, सं□ोधन एवं आधुनान्तीकरणः–</u>
माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज क्षेत्र के अति वि ाि श्ट क्षेत्रीय कार्यों को ससमय संपन्न कराये जाने हेतु जिला उद्योग केंद्रों में ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले उद्यमकर्ताओं के विवरणों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर फ्रेम संरचना का कार्य त्रैमासिक आधार पर संचालित है, फ्रेम संरचना कार्य का अनुश्रवण मासिक समीक्षा बैठक में किया जाता है। फ्रेम संरचना कार्य की प्रगति निम्नवत हैः–
<table>
<tr><td>त्रैमास मार्च, 2009</td><td>त्रैमास जून 2009</td><td>त्रैमाससितम्बर 2009</td><td>त्रैमास दिसम्बर2009</td></tr>
<tr><td>68/70</td><td>54/70</td><td>33/70</td><td>02/70</td></tr>
</table>
अव ोश फ्रेम्स तैयार कराए जाने हेतु मुख्यालय स्तर से संबंधित महा प्रबन्धकों को 10.2 के अन्तर्गत लघु दण्ड दिए जाने की एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने की चेतावनी जारी की जा चुकी है।
उक्तानुसार प्राप्त फ्रेम्स का कम्प्यूटराइजे ान एवं वैलीडे ान का कार्य साथ–साथ संचालित है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) को अब तक 31.3.2008 तक के कम्प्यूटराइज फ्रेम्स उपलब्ध कराये जा चुके हैं,जबकि 2008–09 के कम्प्यूटराइज फ्रेम्स की डाटा इण्ट्री एवं वेलीडे ान की कार्यवाही प्रगति पर
</td></tr>
</table>

है ।

ब–औद्योगिक उत्पादन सूचकांकः–

भारतीय अर्थव्यवस्था में औधोगिक उत्पादन/सेवा क्षेत्र के योगदान एवं वृद्धि दर के आंकलन हेतु अखिल भारतीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रका ान किया जाता है।

औद्योगिक उत्पादन सेवा क्षेत्र की वृद्धि में माइक्रो एवं स्माल उद्यम क्षेत्र की सहभागिता सुनि चित किए जाने हेतु विकास आयुक्त (एमएसएमई) भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 के 1060 उद्यमों के मासिक उत्पादन विवरण त्रैमासिक आधार पर अनुवर्ती त्रैमास की 20 तारीख तक ऑन लाइन ट्रान्समीट किए जाते हैं। त्रैमास सितम्बर 2009 के विवरण प्रेशित किये जा चुके है।

स–पंजीकृत माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज उद्यमों की चतुर्थ गणनाः–

माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राज्य उद्योग निदे ालयों, कारखाना अधिनियम, केवीआईसी/केवीआईबी एवं कोयर बोर्ड के अन्तर्गत 31.03.2007 तक पंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत करने वाले उद्यमों की चतुर्थ गणना (प्रति उद्यम मानदेय भुगतान के आधार पर) वर्श 2008 में संपन्न करायी गयी। चतुर्थ गणना के स्केन/सारणीकृत किये गये विवरण निम्नवत हैः–

1–कार्यरत चिन्हित उद्यमों की संख्या–1,87,512(62.87प्रति ात)

2–बन्द चिन्हित उद्यमों की संख्या–75,659(25.37प्रति ात)

3–लापता चिन्हित उद्यमों की संख्या–35,065(11.76प्रति ात)

द–अपंजीकृत माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज उद्यमों के ऑकलन हेतु सैम्पुल सर्वेः–

7–अबतक सम्पन्न सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण

माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 31.03.2007 तक अपंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत न करने वाले उद्यमों का ऑकलन उद्यम मानदेय बेसिस पर वर्श 2009 में प्रारम्भ कराया गया । उक्त प्रयोजनार्थ 2149 ग्रामों एवं 70 भाहरी क्षेत्रों का चयन किया गया ।

क्षेत्रीय कार्य हेतु चिन्हित मानव भाक्ति एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारियों/अधिकारियों को विधिवत प्र िक्षण प्रदान किया गया । वर्तमान में सैम्पुल सर्वे का क्षेत्रीय का संचालित है जिसके अन्तर्गत भरे गये समस्त रूपपत्र जिला उद्योग केन्द्रों से विकास आयुक्त(एमएसएमई)भारत सरकार नईदिल्ली कार्यालय को प्रेशित किये जा रहे है । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सैम्पुल सर्वे का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण हो चुका है ।

क्रमांक	सर्वेक्षणों के नाम	समयाविधि	रिपोर्ट की स्थिति
1	2	3	4
1	प्रथम गणना	प्रारंभ से 30.11.1973 तक	प्रका ित
2	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1981 तक	प्रका ित
3	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1984 तक	प्रका ित
4	द्वितीय गणना	प्रारंभ से 31.03.1988 तक	प्रका ित
5	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1992 तक	प्रका ित
6	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1998 तक	प्रका ित
7	तृतीय गणना एवं सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.2001 तक	प्रका ित
8	चतुर्थ गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य पूर्ण रिपोर्ट प्रतीक्षित
9	फर्मासुटिकल्स उद्यमों की प्रथम गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य पूर्ण रिपोर्ट प्रतीक्षित
10	सैम्पुल सर्वे (अपंजीकृत उद्यमों के आकलन हेतु)	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य समाप्त स्कूटनी एवं स्केनिंग कार्य प्रगति पर है।

8– वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित कार्यो का संक्षिप्त विवरण

1–चयनित/कार्यरत लगभग 852 कार्यरत(सीजनल सहित) पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मासिक उत्पादन आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाना है । उक्त के अतिरिक्त नवीन ई0एम0प्रस्तुत करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की फ्रेम संरचना त्रैमासिक आधार पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से करायी जानी है।

2–संग्रहीत उत्पादन आंकड़ों/फ्रेम्स की स्कूटनी, डाटा इन्ट्री –वेलीडेशन एवं संशोधन की कार्यवाही न्यूक्लियस सेल स्तर (मुख्यालय)स्तर पर पूर्ण कर आंकड़े व फ्रेम्स विकास आयुक्त (एमएसएमई)भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने है।

3–सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की चतुर्थ गणना के सारणीकृत / विश्लेषित विवरणों के आधार पर उत्तर प्रदे ा की गणना रिपोर्ट तैयार कराये जाने का कार्य सम्पन्न कराया जाना है ।

4–अपंजीकृत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के ऑकलन हेतु संचालित सैम्पुल सर्वे (2149 ग्रामों एवं 70 शहरी क्षेत्रों) के क्षेत्रीय कार्य में संग्रहीत विवरणों को स्केन /सारणीकृत विवरणों का वि लेश्रण कर रिपोर्ट तैयार करायी जानी है ।

उक्त प्रक्रियात्मक कार्यो के प्रयोजनार्थ एवं तैनात स्टाफ के वचनबद्ध देयों के वहन हेतु वर्ष 2010–11 के लिये रू025–59 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है ।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उ0प्र0 के लघु उद्योगों की गणना योजना के अन्तर्गत न्युक्लियस सेल की स्थापना	199.08		199.08	27.97		27.97	27.97		27.97	25.59		25.59
	योग(क)	**199.08**		**199.08**	**27.97**		**27.97**	**27.97**		**27.97**	**25.59**		**25.59**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	**10.11**		**10.11**	13.40		13.40	13.40		13.40	10.44		10.44
2.	03–मंहगाई भत्ता	**3.06**		**3.06**	2.81		2.81	2.81		2.81	3.45		3.45
3.	04–यात्रा भत्ता	**5.40**		**5.40**	4.60		4.60	4.60		4.60	4.60		4.60
4.	06–अन्य भत्ते	**110.87**		**110.87**	1.81		1.81	1.81		1.81	1.75		1.75
5	08–कार्यालय व्यय आदि	**69.64**		**69.64**	5.35		5.35	5.35		5.35	5.35		5.35
	योग	**199.08**		**199.08**	**27.97**		**27.97**	**27.97**		**27.97**	**25.59**		**25.59**

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01–उ0प्र0 के लघु उद्योगों की गणना योजना के अर्न्तगत न्यूक्लीयस सेल की स्थापना (के.100 / रा.00–के0)		199.08		199.08	27.97		27.97	27.97		27.97	25.59		25.59
		योग(ग)	**199.08**		**199.08**	**27.97**		**27.97**	**27.97**		**27.97**	**25.59**		**25.59**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेराजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की गयी है।

औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों का सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	बजट स्वीकृत (लाख रू0 में	व्यय	आयोजित शिविर		प्रशिक्षार्थियों की संख्या	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
2006–07	96.02	93.35	1565	1558	71500	71223
2007–08	66.76	55.36	560	487	22520	20443
2008–09	16.50	01.63	370	163	17100	9127

वर्ष 2008–09 हेतु शासन से रू0 16.50 लाख का बजट विभिन्न जनपदों हेतु अवमुक्त किया गया जिसमें 300 एक दिवसीय, 50 दो साप्ताहिक, 20 चार साप्ताहिक, कार्यक्रम प्रस्तावित हैं तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्धारित किया गया था। एक दिवसीय कार्यक्रम, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो निर्धारित कार्यक्रम 300 के विरूद्ध 163 उद्यमिंता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

तालिका–क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उद्यमकर्ता विकास योजना		16.50	16.50					5.00	5.00		5.00	5.00
2	उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान								25.00	25.00			
योग	**(क)**		**16.50**	**16.50**					**30.00**	**30.00**		**5.00**	**5.00**

तालिका ''ख''
उद्देश्यवार वीगकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	शून्य											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोज नागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अनुदान सं0–03 ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग– आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 07–उद्यमकर्ता विकास योजना (जिलायोजना)– 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता, 27–सब्सिडी			16.50	16.50					5.00	5.00		5.00	5.00
2	अनुदान सं0–03 ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग– आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 20 उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता,									25.00	25.00		25.00	25.00
	योग(ग)			16.50	16.50					30.00	30.00		30.00	30.00

सेण्ट्रल ग्लास एण्ड सिरमिक रिसर्च इन्स्टीटयूट, खुर्जा (सी0जी0सी0आर0आई0)

परिचयः–

प्रदे ा में निर्यातोन्मुखी पाटरी उद्योगों के गुणात्मक तकनीकी तथा उत्पादकता से जुड़े आधुनिकीकरण गुणवत्ता में नवीनता तथा नये उत्पादों हेतु प्रा िक्षार्थियों को प्रा िक्षण आदि किया कलापों हेतु यह योजना वर्श 1981–82 से संचालित है। इस संस्थान के वार्शिक व्ययों का 50 प्रति ात अं ा केन्द्रां ा तथा 50 प्रति ात राज्य सरकार द्वारा राज्यां ा के रूप में वहन किया जाता है, जिसका निर्णय उ0प्र0 भ्ाासन एवं सी0जी0सी0आर0आई0/सी0एम0एम0आर0आई0 (सेन्ट्रल माइन्स एण्ड मिनरोलॉजी रिसर्च इन्स्टीटयूट) के उच्चाधिकारियों के मध्य वर्श 1977 के मध्य निर्णीत है।

प्रगतिः–

वित्तीय वर्श 2007–08 की भौतिक प्रगति

संस्थान द्वारा 50 इकाइयों के निर्मित उत्पादों का परीक्षण किया गया है तथा रू0 2.00 लाख भ्ाुल्क प्राप्त किया गया। 30 उद्यमियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी गयी, 12 इकाइयों में पर्यावरण नियंत्रण की व्यवस्था करायी गयी। 15 सिरामिक, 2 ग्लेज–बाडी का विकास किया गया। 15 इकाइयों द्वारा उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल के वेस्ट मिनिमाईजेसन की तकनीक उपलब्ध करायी गयी। उक्त के अतिरिक्त 2 प्रा िक्षण कार्यक्रम ग्लास, बीड्स, ज्वेलरी, मेकिंग आयोजित कराये गये, जिसमें 60 प्रा िक्षार्थियों को ग्लास, बीड्स ज्वेलरी मेंकिंग में प्रा िक्षित किया गया।

वित्तीय वर्श 2008–09 की भौतिक प्रगति

वित्तीय वर्श 2008–09 में 20 इकाइयों के निर्मित उत्पादों का परीक्षण कर रू0 80 हजार भ्ाुल्क प्राप्त किया गया। 50 इकाइयों के कच्चे माल का रसायनिक परीक्षण किया गया। 5 उद्यमियों को केरल के कलस्टर का भ्रमण कराया गया, 7 इकाइयों के उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कराया गया। ग्लास, बीड्स मेकिंग प्रा िक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रा िक्षाथियों को प्रा िक्षित किया गया।

वित्तीय वर्श 2009–10 की भौतिक प्रगति

माह दिसम्बर, 2009 तक 133 इकाइयों के निर्मित उत्पाद एवं कच्चे माल का परीक्षण कर रू0 3,41,507/– शुल्क प्राप्त किया गया। 25 उद्यमियों को बीकानेर–राजस्थान की कोल माईन का भ्रमण कराया गया। 24 इकाइयों के उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कराया गया, 05 इकाइयों के क्लिनकार के वजन में कमी कर ईधन बचत करायी गयी। 5 इकाइयों का आधुनिकीकरण किया गया। टनल क्लिन डिजाईन में संशोधन कर फ्यूज कनजेन्शन में कमी कर 52 इकाइयों के ईधन में बचत करायी गयी जिससे फ्लू गैस एनालेशस प्रक्रिया का उपयोग किया गया। उक्त के अतिरिक्त 4 सेमिनार, 9 जागरूपता कार्यक्रम एवं एक रिफ्रेसर कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें 15 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 20.00 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान प्रस्तावित है।

तालिका–क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सी0जी0सी0 आर0आई0 खुर्जा को सहायता		20.00	20.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
	योग (क)		**20.00**	**20.00**	–	**20.00**	**20.00**	–	**20.00**	**20.00**		**20.00**	**20.00**

तालिका–ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन		20.00	20.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)	––	**20.00**	**20.00**	–	**20.00**	**20.00**	–	**20.00**	**20.00**		**20.00**	**20.00**

तालिका–ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1–	03	''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग– 102–लघु उद्योग 03–सी0जी0सी0 आर0आई0खुर्जा को सहायता 20–सहायता अनुदान अंशदान/राज्य सहायता, 27–सब्सिडी		20.00	20.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
	योग–			20.00	20.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण
(राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रर्दशनियों में भाग लेना)

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण
(राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना)

उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 में उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सं0–21 , 1860 के अर्न्तगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, इकाइयों की स्थापना किये जाने तथा उनके विपणन विषयक सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निर्यात उन्मूलक प्रभावी कदम उठाये गये है। जिसके क्रियान्वियन में उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः प्राधिकरण हेतु निर्दिष्ट कार्यकलापो में मूलतः उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1– विभिन्न व्यापार मेलो में भाग लेना , प्रदेश की इकाइयों द्वारा जो उत्पाद के बाजार को बढाने के लिये देश व विदेशों में व्यापार मेलो की व्यवस्था कराना ।

2– देश व विदेश में प्राधिकरण द्वारा लगाये जा रहे मेलो का प्रचार –प्रसार कराना तथा प्रदेश के उद्यमियों का तकनीकी ज्ञान बढाने एवं विदेश के उद्यमियों को इन मेलो में आमत्रित करना ।

3– प्रदेशीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित पारम्परिक उत्पादो के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु बाजार का सर्वेक्षण करना तथा निर्यात बढाना ।

4– प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कार्यकलापो के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्व कर उनका पंजीकरण कराना ताकि उनके उत्पादित माल की संरचना के अनुसार विभिन्न व्यापारिक मेलो में उनका प्रतिनिधित्व एवं भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके।

5– अन्य कोई कार्य–कलाप या व्यापार करना , जो प्राधिकरण के उद्देश्य के अनुरू‍प तथा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयो के हित में हो।

6– प्राधिकरण के उद्देश्यों के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना प्रभाग की स्थापना करना , जिसके द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को अन्य उत्पादो का निर्यात करना या उसके बाजार को बढाने में सहायता प्राप्त हो सके।

7– आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करना, जो प्रदेश या विदेश में स्थित हो एवं प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक हो।

8– किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान जिसका उद्देश्य प्राधिकरण के उद्देश्यों के समान हो, का सदस्य बनाना एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान करना ।

यह प्राधिकरण निदेशालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग , उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यरत है और समय समय पर शासी निकाय की बैठके आयोजित कर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा संचालन विषयक कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न कराई जाती है। शासी निकाय में शासन, वित्त एवं विभिन्न निगमों के पदाधिकारी नामित है, जो चेयरमैन , यू0पी0टी0पी0ए0 को अपना सुझाव एवं मार्ग दर्शन देते है।

प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विभिन्न मेलो का आयोजन भारत/उ0प्र0 सरकार के दिशा निर्देश के आवश्कतानुसार किया जाता है। वास्तव में आई0टी0पी0ओ0 नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों उनके दिशा निर्देश के अनुसार सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण करता है। आई0टी0पी0ओ0 द्वारा मेलो का वर्गीकृत एक स्लाट तैयार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में उनके स्तर पर समय समय पर महत्वपूर्ण बैठके आयोजित की जाती है। जिसमें उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की अपेक्षाऍं भी रहती है। प्रगति मैदान नई दिल्ली मे इसी प्राधिकरण के अर्न्तगत यू0पी0पवेलियन । जहॉ पर स्थानीय रूप से सहायतार्थ उद्यमियों के मार्ग दर्शन तथा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्टाफ की भी व्यवस्था है। प्राधिकरण द्वारा इस पवेलियन को संचालित करने हेतु समय समय पर दिशा निर्देश अध्यक्ष , उ0प्र0व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के माध्यम से दिये जाते है। शासन द्वारा प्रतिवर्ष के लिये एक निश्चित तिथि (14 से 27 नवम्बर तक) के मध्य प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे आयोजित होने वाले भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हेतु व्यवस्था की जाती है जिसका व्यय शासन द्वारा दिये गये मदो में वित्तीय नियमों के अधीन किया जाता है। अन्य मेलो के क्रियान्वियन का संचालन व दायित्व प्राधिकरण अपने श्रोतो से करता है जिस हेतु कोई अनुदान या राशि अलग से उपलब्ध नहीं होती है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1– प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं औद्योगिक प्रदर्शनी–

यह मेला चित्रकूट के राष्ट्रीय रामायाण मेला परिसर में दिनांक 19 से 25 अगस्त, 2007 के मध्य आयोजित किया। जिसमें पीएमआरवाई से लाभान्वित हस्तशिल्प तथा लधु उद्योग की कुल 145 इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गयी। मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री जी, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन द्वारा किया गया।

2– प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं औद्योगिक प्रदर्शनी–

यह मेला जनपद महोबा के खरेला में दिनांक 29 अगस्त से 01 सितम्बर, 2007 के मध्य आयोजित किया। जिसमें पीएमआरवाई से लाभान्वित हस्तशिल्प तथा लधु उद्योग की कुल 87 इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गयी। मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री जी, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन द्वारा किया गया।

3– प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं औद्योगिक प्रदर्शनी–

यह मेला कानपुर के मोतीझील प्रागंण में दिनांक 23 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2007 के मध्य आयोजित किया। जिसमें पीएमआरवाई से लाभान्वित, हस्तशिल्प तथा लधु उद्योग की कुल 157 इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गयी। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा किया गया।

4– भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2007

यह मेला आईटीपीओ के तत्वाधान में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14 से 27 नवम्बर, 2007 की अवधि में आयोजित किया गया। जिसमें उ0प्र0व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश मण्डप में प्रदेश की 123 उत्कृष्ट इकाईयों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करायी गयी। इस वर्ष मेले की मुख्य थीम "प्रोसेस्ड फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज" निर्धारित है। मण्डप का उद्घाटन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 14–11–2007 को किया गया। दिनांक 20–11–07 को प्रदेश दिवस के अवसर पर मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा मण्डप का दृश्यावलोकन तथा प्रेस को सम्बोधन किया गया एवं उसी दिन सायं 7:00 बजे लालचौक थियेटर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ।

5– प्रधान मंत्री रोजगार योजना मेला– आजमगढ

यह मेला जनपद आजमग़ढ में 27 जनवरी से 02 फरवरी, 2008 के मध्य आयोजित किया गया है। जिसमें पीएमआरवाई से लाभान्वित हस्तशिल्प तथा लघु उद्योग की 115 इकाईयों ने भाग लिया। यह मेला जजी मैदान में आयोजित किया गया था।

6– प्रधान मंत्री रोजगार योजना मेला– बलिया

यह मेला जनपद बलिया में दिनांक 6 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें पीएमआरवाई से लाभान्वित हस्तशिल्प तथा लघु उद्योग की लगभग 123 इकाईयों ने भाग लिया। यह मेला राम लाला मैदान में आयोजित किया गया था।

7– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला– मुरादाबाद

यह मेला जनपद मुरादाबाद में 27 फरवरी, से 4 मार्च 2008 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें हस्तशिल्प तथा लघु उद्योग की लगभग 135 इकाईयों ने भाग लिया। यह मेला कम्पनी बाग मैदान में आयोजित किया गया था।

8– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला– आगरा

यह मेला जनपद आगरा में दि0 1 से 07 मार्च, 2008 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें हस्तशिल्प, लघु उद्योग की लगभग 142 इकाईयों ने भाग लिया। यह मेला यू0पी0 टूरिजम मैदान में आयोजित किया गया था।

9– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला– झॉसी

यह मेला जनपद झॉसी में दि0 9 से 15 मार्च ,2008 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें हस्तशिल्प तथा लघु उद्योग की लगभग 145 इकाईयों ने भाग लिया। यह मेला सर्किट हाउस के पास उपलब्ध नगर निगम मैदान में आयोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–कानपुर

यह मेला जनपद कानपुर निदेशालय प्रागंण में दिनांक 10–9–2008 से 16–9–2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया।

2– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–बरेली

यह मेला जनपद बरेली मे दिनांक 18–10–2008 से 24–12–2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया। यह मेला बरेली इन्टर कालेज मैदान में आयोजित किया गया था।

3— भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला—2008

यह मेला दिनांक 14—11—2008 से 27—11—2008 तक प्रगति मैदान , नई दिल्ली, उ0प्र0मण्डप में आयोजित किया गया जिसमें 127 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले मे दौरान 15.10 करोड़ की व्यापारिक पूछ—ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है। मेले में 2.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर 10 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया ।

4— औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला—गाजियाबाद:— यह मेला गाजियाबाद के रामलीला मैदान, कवि नगर में दिनाक 20 से 27 दिसम्बर—2008 के मध्य आयोजित किया गया। इस मेले में 150 इकाइयों की भागीदारी कराई गई।

..वित्तीय वर्ष 2008—09 में प्राधिकरण द्वारा मेले/प्रदर्शनी

1— भारतीय हस्तशिल्प महोत्सव (सोर्सिग शो)— कानपुर : यह मेला भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11—1—2009 से 20—1—09 के मध्य मोतीझील प्रागंण में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

2— औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला—फैजाबाद— दिनांक 1 से 8 फरवरी,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी फैजाबाद के गुलामबाड़ी मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 120 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

3— औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला—वाराणसी— दिनांक 22 फरवरी से 01 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी वाराणासी के बेनियाबाग मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

4— क्राफट बाजार, गोवा— दिनांक 01 मार्च से 10 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी गोवा के हस्तशिल्प मैदान पंजिम में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई। यह प्रदर्शिनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2009—10 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1—दिल्ली हाट:—यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 से 26 जून 2009 में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई। प्रदर्शनी में आये हुये आगुतन्को द्वारा प्रदर्शनी की सराहना की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रमुख सचिव , लघु उद्योग , उ0प्र0शासन लखनऊ द्वारा किया गया ।

2—औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी चित्रकूट— यह मेला चित्रकूट के राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में दिनांक 20 से 27 जुलाई —2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 इकाईयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

3—दिल्ली हाट:— :—यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 04 से 14 सितम्बर 2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 197 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

4—दिल्ली हाट:— :—यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 21 से 30 सितम्बर 2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

5—ट्रेड फेयर देहरादून:— यह मेला इन्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा देहरादून में दिनांक 06 से 13 अक्टूबर—2009 के मध्य आयोजित किया गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा उक्त मेले में 30 हस्तशिल्प इकाइयों की भागीदारी कराई गई। जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

6—दिल्ली हाट:— :—यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 16 से 26 अक्टूबर 2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

7—भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला—2009 :—यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर—2009 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 115 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 20.10 करोड़ की व्यापारिक पूछ ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है।

मेले में 3.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्घाटन दिनांक 14 नवम्बर–2009 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया । विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 15 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया।

8–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी मेरठः– यह मेला दिनांक 19 से 27 दिसम्बर–09 के मध्य गॉधी आश्रम परिसर मेरठ में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 हस्तशिल्प इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई । मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी मेरठ द्वारा किया गया उनके द्वारा मेले की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

9–नॉदन इण्डिया इन्टरनेशल ट्रेड फेयर 2010 :– दिनांक 19 से 26 जनवरी–2010 स्थान मोतीझील, कानपुर में ट्रेड इवेन्ट आगनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया । जिसमें प्राधिकरण द्वारा भी अपनी इकाइयों की भागीदारी करायी गयी। इस मेले में भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य सरकार के उपक्रम सहित 300 इकाइयों की भागीदारी हुई। मेले का उद्घाटन मा0 मंत्री लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री चन्द्र देव राम यादव द्वारा दिनांक 22 जनवरी,2010 को किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मेले/प्रदर्शनी

1–क्राफ्ट बाजार शिलांगः– माह फरवरी–2010 शिलांग यह प्रदर्शिनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

2–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी झॉसी– माह मार्च –2010 झॉसी

3–क्राफ्ट बाजार चेन्नईः– माह मार्च 2010 चेन्न्ई यह प्रदर्शिनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए योजनान्तर्गत रू0 65.00 लाख की धनराशि प्रसतावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यकमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना		65.00	65.00	–	65.00	65.00	–	65.00	65.00		65.00	65.00
	योग(क)		**65.00**	**65.00**	–	**65.00**	**65.00**	–	**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अनुदान सं0–03 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनेत्तर 102–लघु उद्योग 800–अन्य व्यय 03–राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले एवं प्रर्दशनियों में भाग लेना 19–विज्ञापन, ब्रिकी और विख्यापन व्यय			65.00	65.00	–	65.00	65.00		65.00	65.00		65.00	65.00
		योग(ग)		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0

(1) विभाग के अभ्युदय, विकास तथा उनके मूलभूत उद्देश्यों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण।

प्रदे ा से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से निर्यातकों के उनके निर्यात से सम्बन्धित राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों से होने वाली कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य बनाने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 1999 में किया गया। उक्त के अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा निर्यातकों को विभिन्न सुविधायें/वित्तीय सहायताएं उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) विभागीय पदों का गत् तीन वित्तीय वर्षों का विवरण।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के संचालानार्थ आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन एवं अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्सहान ब्यूरो के एक–एक पद (कुल दो पद) सृजित किये गयें हैं तथा इन पदों पर क्रमशः आई0ए0एस0 संवर्ग के सुपर टाइम स्केल एवं सीनियर स्केल के अधिकारी कार्य सम्पादित कर रहें हैं। इन सृजित पदों पर शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी है। इनके अतिरिक्त कार्यालय कार्य हेतु उद्योग निदेशालय एवं उ0प्र0 निर्यात निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्यूरो से सम्बद्ध किया गया है।

शेष कार्य यथा आवश्यक संविदा आधार पर कराया जा रहा है। ब्यूरो में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पद सृजित नहीं है।

(3) कार्यक्रम/कार्यकलापवार गत् तीन वित्तीय वर्षों के निर्धारित लक्ष्य व उपलब्धि विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष वर्ष 2006–07		
		प्राविधान	उपलब्धि	
			वित्तीय व्यय	भौतिक (संख्या)
1	विपणन विकास सहायता	100.00	100.00	244
2	भाड़ा युक्तिकरण योजना	50.00	50.00	106
3	राज्य निर्यात पुरस्कार	5.00	5.00	35
4	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना	35.00	20.00	....
5	निर्यातकों एवं कार्मिकों को निर्यात एवं विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी विविधि प्रशिक्षण आदि	6.00	6.00	6
6	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में डाटा बैंक एवं निर्यात सम्बन्धी पुस्तकालय की स्थापना	2.00	2.00	...
7	उच्च स्तरीय संस्थाओं के सहयोग 4से राज्य स्तरीय गोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन।	2.50	2.50	5
8	विभिन्न निर्यात सेक्टर हेतु अध्ययन एवं सर्वेक्षण तथा परामर्श आदि।	4.00	4.00	...

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09		
		प्राविधान	उपलब्धि		प्राविधान	उपलब्धि	
			वित्तीय (व्यय)	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (व्यय)	भौतिक (संख्या)
1	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। उपयोजनायें						
	(1अ).अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	200.00	200.00	439	200.00	200.00	335
	(1ब).राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00	40.00	....	40.00	40.00	....
	(2).गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान ।	300.00	300.00	299	500.00	500.00	303
	(3).निर्यातकों की क्षमता का विकास	18.00	18.00	18	5.00	5.00	19
	(4).अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना	32.00	32.00	....	10.00	10.00	....
	(5).निर्यात पुरस्कार	8.00	....	....	8.00	.....	....
2	वायुयान भाड़ायुक्तिकरण योजना	....	.....	....	20.00	05.84	11
3	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना	....	....	....	23.75	23.75	....

(4) वित्तीय वर्ष 2008–09 में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण

(अ) विपणन विकास सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत आवंटित बजट रू0 200.00 लाख से विभिन्न जनपदों की निर्यातक इकाईयों के कुल 335 स्वीकृत दावों का भुगतान किया गया।

(ब) भाड़ा युक्तिकरण योजना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत आवंटित बजट रू0 500.00 लाख से विभिन्न जनपदों की निर्यातक इकाईयों को कुल 303 दावों का भुगतान किया गया।

(स) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत रु0 23.75 लाख की धनराशि का सदुपयोग किया गया।

(द) राज्य निर्यात पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत रू0 8.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई । योजनान्तर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न 25 श्रेणियों के निर्यातकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों से सम्मानित तथा समस्त श्रेणियों में एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने का प्राविधान है । इस प्रकार कुल 51 निर्यातकों को पुरस्कृत किये जाने का प्राविधान है ।

(4 – अ) वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना को आरम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 11 इकाईयों के मध्य कुल रु0 5.84 लाख का भुगतान किया गया है।

(5) विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम

(अ) वर्ष 2010–11 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना / कार्यक्रम	लक्ष्य	
1	चालू योजना	भौतिक	वित्तीय
1	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। उपयोजनायें (1अ).अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता (1ब).राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता (2).गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान । (3).निर्यातकों की क्षमता का विकास (4).अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना । (5).निर्यात पुरस्कार	 300 100 300 05 51	 240.00 30.00 270.00 07.00 08.00 8.00
2	**वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना**	**25**	**40.00**
3	**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना (आयोजनेत्तर)**	....	**25.47**
	योग		**628.47**

(ब) चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से **''त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना''** संचालित की जा रही है जिसके अधीन विभिन्न 5 उपयोजनाओं के माध्यम से निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इन उपयोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

(1–अ). अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता

इस उपयोजना के अन्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निर्यातकों को विभिन्न श्रेणियों में निम्नवत् वित्तीय सहायता / सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं:–

योजना	दर	प्रतिबन्ध
1. विदेशी व्यापार मेला / प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान (अ) निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी व्यापार मेला अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय	स्थल किराये का 75 प्रतिशत् वायुयान किराये का 50	अधिकतम् सीमा रू0 1.00 लाख प्रति निर्यातक । केवल एक व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा रू0 50,000 / – प्रति निर्यातक । **निर्यातक द्वारा**

सहायता ।	प्रतिशत ।	**स्थल किराये पर व्यय में निर्यातक का अंश वायुयान व्यय में छूट से अधिक होगा अन्यथा वायुयान व्यय में छूट की कटौती कर दी जायेगी।**
(ब) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा आई0टी0पी0ओ0, उ0प्र0 निर्यात निगम, यूपीटीपीए, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह प्रायोजन से आयोजित किये जाने वाले विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु **(1) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता :–** **क) हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु**	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन हेतु संचालित योजना के अनुरूप।	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प उत्पादों के सजीव प्रदर्शन हेतु सम्बन्धित हस्तशिल्प के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कृत दो हस्तशिल्पी मास्टर क्राफ्टमेन के रूप में भाग ले सकते हैं । मास्टर क्राफ्ट्समेन तथा दो अधिकारियों के लिए अनुमन्य टी0ए0/डी0ए0 हेतु भी शत्–प्रतिशत् वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सहायता शत्–प्रतिशत् आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी । उक्त सहायता निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम के द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले/प्रदर्शिनियों के लिए ही उपलब्ध कराई जायेगी
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु ।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के प्रतिभाग करने पर 1–अ के अनुसार ।	अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेलों में प्रतिभाग हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम, यू0पी0टी0पी0ए0, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह–प्रायोजन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेला/प्रदर्शिनियों में भाग लेने की स्थिति में 1–अ के अनुसार वित्तीय सहायता की गणना करते हुये आकलित धनराशि की 50 प्रतिशत् अग्रिम के रूप में सम्बन्धित आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन के व्यवस्था हेतु दी जायेगी जिसका समायोजन मेला उपरांत सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से किया जायेगा ।मेले में भाग लेने वाले दो अधिकारियों को टी0ए0/डी0ए0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुमन्य होगा
(2) निर्यातक संघों/औद्योगिक संघों, निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल के सहप्रायोजन से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु	प्रति मेले पर हुए कुल व्यय का 50 प्रतिशत	अधिकतम सीमा रु0 50.00 लाख तथा शेष 50 प्रतिशत या इससे अधिक धनराशि की व्यवस्था औद्योगिक संघ करेंगे । कम से कम 30 अतिसूक्ष्य, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों के

वित्तीय सहायता ।		प्रतिनिधि भाग लेंगे
2. निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे –कैटलॉग, विज्ञापन, वीडिओ–कैसेट्स, वेब–साईट आदि के छपाई /निर्माण हेतु ।	**कुल व्यय का 60** प्रतिशत्।	अधिकतम् सीमा रू0 60,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष
3.विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु।	वायुयान अथवा कोरियर से नमूना भेजने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत् ।	अधिकतम् सीमा रू0 50,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष
4.गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0एस0ओ0– 9000/ बी0आई0एस0– 14000 श्रेणी ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी.सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क आदि प्राप्त करने हेतु ।	**कुल व्यय का 60** प्रतिशत्	अधिकतम् सीमा रू0 75,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष

(1–ब). राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता

उक्त योजना का संचालन उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उद्योग निदेशालय उ0प्र0, कानपुर के माध्यम से किया जायेगा । योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

इस योजना का उद्देश्य टाईनी सेक्टर, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग एवं हैण्डलूम क्षेत्र की इकाईयां जो नई एम0एस0ई0डी0 एक्ट के अन्तर्गत आती हैं, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाना है। इस योजना का लाभ प्रदेश की उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयों को प्रदेश तथा देश के स्तर पर प्रदर्शनियों को आयोजित करने के माध्यम से लाभ पहुंचाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयां जो अपने उत्पादों के विपणन व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं प्रदर्शिनियों में स्टॉल बुक कराकर तथा अपने माल को प्रदर्शनी स्थल पर लाने व ले जाने का भाड़ा वहन नहीं कर पाती है उन इकाईयों को स्टॉल बुकिंग में 50 प्रतिशत् तथा माल लाने व ले जाने में यातायात पर व्यय में 50 प्रतिशत् की छूट दिये जाने का प्राविधान इस योजना में किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली इकाईयों को

वर्ष में एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त होगा । योजनान्तर्गत इकाईयों को अधिकतम् रू0 15,000/– स्थल किराये के रूप में तथा रू0 5,000/– परिवहन किराये के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है ।

(2) गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

उत्तर प्रदेश लैण्ड लाक्ड राज्य होने के कारण प्रदेश की निर्यातक इकाईयों द्वारा जो माल निर्यात किया जाता है वह समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की इकाईयों की अपेक्षा काफी मॅहगा पड़ता है, इस कारण प्रदेश में दुरस्थ क्षेत्रों में पारस्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर तक नहीं हो पाता। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी की निर्यातक इकाईयों को निर्यात हेतु गेट वे पोर्ट तक भेजे गये माल के भाड़े पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या 1470/77–4–09–142एन./08 दिनांक 25.10.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजनान्तर्गत अब मध्यम श्रेणी के इकाईयों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, ऐसे निर्यातक जो पूरे कन्टेनर के स्थान पर लूज/पार्ट कन्टेनर में माल भेजते हैं या सीधे ट्रक के माध्यम से अथवा प्रदेश के बाहर स्थित कन्टेनर डिपो के माध्यम से किये गये निर्यात पर अनुदान इस शर्त के साथ देय होगा कि निर्यात किया गया माल उत्तर प्रदेश में निर्यात के पूर्व प्रत्येक कन्साइनमेन्ट व्यापार कर विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। उक्त योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों (एक्सपोर्ट हाउस सहित) को निर्यात हेतु गेटवेपोर्ट तक हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत् अधिकतम् रू0 5,000/– प्रति कन्टेनर (20 फिट) की दर से दिया जा रहा है ।

(3) निर्यातकों की क्षमता का विकास

वर्ष 2005 से विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है जिससे विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है । केवल वहीं निर्यातक सफल हो सकता है जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भली–भांति परिचित हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यातकों/भावी निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमो में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड तथा शीर्ष औद्योगिक संघों के माध्यम से संचालित किये जा रहें हैं। निर्यातकों की निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समय–समय पर सेमिनार/ओपेन हाउस आयोजित कर किया जा रहा है ।

(4) अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को विश्व व्यापार में बेचने के लिए ख्याति प्राप्त रिसर्च तथा कन्सल्टेन्सी आदि पर काफी धनराशि व्यय की जा रही है । विकसित देशों द्वारा अपने देश के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से काफी मात्रा में बजट उपलब्ध कराया जा रहा है चूॅकि प्रत्येक निर्यातक द्वारा स्वयं के स्रोतों से ऐसी स्टडीज/सर्वे आदि पर इतनी भारी धनराशि व्यय करना संभव नहीं है अतः उ0प्र0 सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के माध्यम से इस प्रकार की स्टडीज कराया जाना अति आवश्यक है जिससे कि निर्यातकों को विभिन्न सेमिनार्स के माध्यम से कराई गई स्टडीज के परिणामों की जानकारी दी जा सके । निर्यातकों को विश्व व्यापार से सम्बन्धित विस्तृत आकड़े तथा उसका विश्लेषण भी समय–समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसके लिये ब्यूरो द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से एक मासिक न्यूजलेटर द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा रही है ।

आज के युग मे ब्राण्ड प्रमोशन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है । बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों का पेटेण्ट करा रही हैं तथा स्थान विशेष के उत्पादों के लिए जियोग्रैफिकल इंडीकेटर के अन्तर्गत पेटेण्ट/पंजीकरण प्राप्त किये जा रहें हैं । उ0प्र0 में निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे भदोही का कारपेट, बनारस की सिल्क साड़ी, लखनऊ का चिकन, फिरोजाबाद एवं खुर्जा का चीनी कांच का सामान इत्यादि का जियोग्रैफिकल इंडीकेटर के अन्तर्गत पेटेण्ट/पंजीकरण कराना प्रस्तावित है ।

(5) निर्यात पुरस्कार

प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 के उत्कृष्ट निर्यातकों के विभिन्न निर्यात ग्रुप के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान कर उन्हें और अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस योजनान्तर्गत विभिन्न 25 निर्धारित श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय तथा समस्त श्रेणियों में एक सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार इस प्रकार कुल 51 पुरस्कारों से निर्यातकों को सम्मानित किया जायेगा।

(स) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण

(1). निर्यातक इकाईयों के पंजीयन का कार्य

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित हो रही रही योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीयन आवश्यक है। अभी तक यह कार्य प्रदेश स्तर पर ब्यूरो कार्यालय में सम्पन्न किया जाता रहा। परन्तु निर्यातकों को शीघ्र ही पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह कार्य जनपद स्तर पर महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र व निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

(2). गोल्ड/सिल्वर कार्ड का जारी किया जाना

प्रदेश के निर्यातकों को विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कार्य में वरीयता प्रदान करने के उद्देश्य से गोल्ड कार्ड एवं सिल्वर कार्ड की भी सुविधा प्रदान की जाती है। जिन इकाईयों का प्रतिवर्ष निर्यात टर्नओवर रू0 50 लाख से अधिक है, उन्हे गोल्ड कार्ड और जिनका निर्यात टर्नओवर रू0 20 लाख से अधिक है उन्हें सिल्वर कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है।

(3). परामर्श सम्बन्धी कार्य

प्रदेश के निर्यातकों को निर्यात में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव तथा ऐसे उद्यमियों को जो निर्यात क्षेत्र में रूचि रखतें हैं, परामर्श दिया जाता है तथा निर्यातकों की समस्याओं का समाधान भी त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जाता है।

(4). प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा निर्यात सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

तालिका 'क'
वित्तीय आव□यकताएँ कार्यक्रमों तथा कार्य कलापों का वर्गीकरण

(धनरा ि लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। '	763.00		763.00	763.00		763.00	763.00		763.00	563.00		563.00
2	वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना	20.00		20.00	100.00		100.00	100.00		100.00	40.00		40.00
3	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना		23.75	23.75		28.75	28.75		28.75	28.75		25.47	25.47
	योग(क)	**783.00**	**23.75**	**806. 75**	**863.00**	**28.75**	**891.75**	**863.00**	**28.75**	**891.75**	**603.00**	**25.47**	**628.47**

तालिका 'ख
उद्दे□यवार वर्गीकरण

(धनरा□ा लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	...	–	–	...	–	–	...	–	–			
2	मजदूरी	...	4.80	4.80	...	4.80	4.80		4.80	4.80		4.80	4.80
3	यात्रा भत्ता	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10		0.10	0.10		0.12	0.12
4	अन्य भत्ता	...			...								
	कार्यालय व्यय आदि	....	18.85	18.85	...	23.85	23.85		23.85	23.85		20.55	20.55
	योग (ख)	**...**	**23.75**	**23.75**	**...**	**28.75**	**28.75**		**28.75**	**28.75**		**25.47**	**25.47**

नोटः सम्बन्धित विभागों द्वारा जहां से अधिकारी/कर्मचारी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में सम्बद्ध हैं, वेतन आदि वहन किया जाता है।

तालिका 'ग
वित्तीय साधनों के स्रोत

(धनराि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	अनु सं0	मुख्य लेखा भीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1–	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग –आयोजनागत– 102–लघु उद्योग–800– अन्य व्यय– 13– त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। ' 20–सहायक अनुदान/अं ादान /राज्य सहायता, 27–सब्सिडी	763.00		763.00	763.00		763.00	763.00		763.00	563.00		563.00
2	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग –आयोजनागत– 102–लघु उद्योग– 800– अन्य व्यय, 14–वायुयान भाडा सहायता योजना, 27–सब्सिडी	20.00		20.00	100.00		100.00	100.00		100.00	40.00		40.00
3	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग –आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 800– अन्य व्यय, 07–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना		23.75	23.75		28.75	28.75		28.75	28.75		25.47	25.47
		योग	**783.00**	**23.75**	**806.75**	**863.00**	**28.75**	**891.75**	**863.00**	**28.75**	**891.75**	**603.00**	**25.47**	**628.47**

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0

(1) निगम के स्थापना का उद्देश्य व उद्देश्यों की पूर्ति :

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना दिनांक 20 जनवरी, 1966 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पब्लिक लिमिटेड/गवर्नमेन्ट कम्पनी के रूप में की गई थी। निगम का पंजीकृत कार्यालय 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ में है।

स्थापना के समय निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना था। वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट यू0पी0 हैण्डीक्राफ्ट प्रभाग भी निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप निगम की स्थापना का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ हस्तशिल्प व हथकरघा विकास व विपणन भी हो गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1998–99 में उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो की स्थापना किये जाने के उपरान्त निर्यात प्रोत्साहन का कार्य मूल रूप से उक्त व्यूरो द्वारा किया जा रहा है। अतः वर्तमान में निगम का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का विकास एवं विपणन करना है।

प्रदेश में हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं बुनकरों तथा पंजीकृत समितियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं की बिक्री व्यवस्था हेतु देश के प्रमुख शहरों में स्थित गंगोत्री प्रदर्शनकक्षों का संचालन करना एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) व विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/एक्सपो/क्राफ्ट बाजार में निर्यात निगम द्वारा भाग लिया जाता है।

(2) निगम द्वारा सम्पादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यः

निगम द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैंः–

(अ) ' गंगोत्री' प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से आन्तरिक विपणन
(ब) वुड सीजनिंग प्लान्ट (काष्ठ सिंझाई संयंत्र), सहारनपुर
(स) एयर कारगो कामप्लेक्स, बाबतपुर वाराणसी
(द) निर्यात
(य) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन
(र) विकासात्मक कार्य

(अ) 'गंगोत्री' प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से आन्तरिक विपणन

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प, हथकरघा एंव अन्य वस्तुओं के विपणन, विकास एंव निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत निगम द्वारा देश के प्रमुख शहरों मे 'गंगोत्री' के नाम से प्रदर्शनकक्ष संचालित किये जा रहे हैं। इन प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शिल्पियों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्री की जाती है। निगम इन शिल्पियों से सीधा जुड़ा हुआ है एवं उनके उत्थान तथा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने मे निगम की प्रमुख भूमिका है। वर्तमान में निगम द्वारा देश के प्रमुख शहरों में 12 प्रदर्शनकक्षों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, पी0पी0एन0 मार्केट, कानपुर
2. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, अमीनाबाद, लखनऊ
3. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, जनपथ, लखनऊ
4. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, हजरतगंज, लखनऊ
5. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, निशातगंज, लखनऊ
6. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, नागपुर
7. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, हैदराबाद
8. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, लिण्डसे स्ट्रीट, कोलकता
9. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, नई दिल्ली
10. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, अहमदाबाद
11. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, दक्षिणापन, कोलकता
12. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, मुम्बई

उपर्लिखित प्रदर्शनकक्षों द्वारा विगत वर्षों में की गयी बिक्री का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	कुल बिक्री (रू0 लाख में)
2007–08	1573.72
2008–09	861.74
2009–10	1201.37(दिसम्बर,09 तक)
2010–11 प्रस्तावित	2300.00 लाख

(ब) वुड सीजनिंग प्लान्ट (काष्ठ सिंझाई संयंत्र), सहारनपुर :–

सहारनपुर में काष्ठ सिंझाई संयंत्र एवं कैमिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित है। इस प्रशाखा द्वारा स्थानीय काष्ठ उद्योग से जुड़े कारीगरों, निर्यातकों एवं कारखानेदारों की लकड़ी की सीजनिंग एवं कैमिकल ट्रीटमेन्ट की जाती है। इस प्रशाखा द्वारा विगत वर्षों के दौरान की गई लकड़ी की सिंझाई एवं ट्रीटमेन्ट का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	कुल सिंझाई (घन मी0 में)	कुल ट्रीटमेन्ट(घन मी0)
2007–08	761.55	529.02
2008–09	365.44	(दिसम्बर,09 तक)388.55
2009–10	नवीनीकरण का कार्य होने के कारण सिझाई का कार्य बन्द रहा है।	133.33
2010–11	(प्रस्तावित लक्ष्य) 3000.00	(प्रस्तावित लक्ष्य)1900.00

(स) एयर कारगो कामप्लेक्स, बाबतपुर वाराणसी :–

वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निर्मित हो रहे निर्यात की सभावना वाले उत्पादों के निर्यात सम्बर्धन हेतु प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1978–79 मे उपलब्ध कराये गये अनुदान से भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा संचालित बावतपुर हवाई अड्डा परिसर में वर्ष 1979–80 से एयर कारगो काम्पलेक्स संचालित किया जा रहा है। एयरकारगो काम्प्लेक्स से विगत वर्षों में कार्गो हैण्डिलिंग का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	निर्यात किये गये कारगो का भार (टन में)	निर्यात किये गये कारगो का एफ0ओ0बी0 मूल्य (रूपया लाख में)
2007–08	171.09	2884.10
2008–09	103.71	2230.35
2009–10	73.94(दिसम्बर,09 तक)	1883.57(दिसम्बर,09 तक)
2010–11 प्रस्तावित	160.00	

(द) निर्यात

निगम द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रदर्शकक्ष के माध्यम से ग्राहकों द्वारा चयनित उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। विगत वर्षो में निर्यात बिक्री का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	निर्यात बिक्री (रू0 लाख में)
2007–08	44.67
2008–09	22.27
2009–10	19.28(दिसम्बर, 09)

(य) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन–

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के आधार पर देश एवं विदेश में प्रदर्शनियॉ आयोजित करने, क्राफ्ट बाजार/एक्सपो का संचालन करने, हस्तशिल्पियों को फोटो पहचान पत्र जारी करने एवं कैटलॉग आदि तैयार करने का कार्य किया जाता है।

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यकमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उ0प्र0निर्यात निगम लखनऊ को व्यापार एवं प्रदर्शिनियों की अवस्थापना सुविधाओं का विकास		175.00		175.00	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
	योग	**175.00**		**175.00**	**0.01**		**0.01**	**0.01**		**0.01**	**0.01**		**0.01**

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0/ मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनुदान सं0–03 4851– ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत 190– सार्वजनित क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, 03–उ0प्र0निर्यात निगम लखनऊ को व्यापार एंव प्रदर्शिनियों की अवस्थापना सुविधाओं हेतु अंशपूँजी , 30– निवेश/ऋण	175.00		175.00	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
	योग(ग)	**175.00**		**175.00**	**0.01**		**0.01**	**0.01**		**0.01**	**0.01**		**0.01**

व्यापार आस्थगन योजना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों को व्यापार कर आस्थगन के अन्तर्गत व्यापार कर आस्थगन की सुविधा ब्याज रहित ऋण के रुप में प्रदान करने हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 वित्त निगम, कानपुर को इंपलिमेटिंग एजेन्सी नामित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू0 125.00 लाख की व्यवस्था है।

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उ0प्र0 वित्तीय निगम को व्यापारकर राशि के आस्थगन योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण			71.26	71.26		125.00	125.00		125.00	125.00			
	योग		**71.26**	**71.26**		**125.00**	**125.00**		**125.00**	**125.00**			

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0/ मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2009–10			पुनरीक्षित अनुमान 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनुदान सं0–03 6851– ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज 102– लघु उद्योग 03– उ0प्र0 वित्तीय निगम को व्यापारकर राशि के आस्थगन योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण 30– निवेश/ऋण		71.26	71.26		125.00	125.00		125.00	125.00			
	योग(ग)		**71.26**	**71.26**		**125.00**	**125.00**		**125.00**	**125.00**			

उद्योग निदेशालय में ई–गर्वेन्स की प्रगति

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम/त्वरित उपयोग उद्योग सम्बंधी नवीनतम सूचनाओं/तकनीकी गतिविधियों के सुसंगत एवं बेहतर संचालन/प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा सत्त प्रयास किया जा रहा है जिसका उद्दे य उचित प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से सूचनाओं को तीव्र गति प्रदान करना तथा उद्यम संबंधीय प्रकियाओं का सरलीकरण। परिणामस्वरूप, न केवल उद्योग सम्बंधी विशिष्ट/नवीनतम सूचनाओं से उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों सुसज्जित किया गया है अपितु आधुनिक एवं दक्ष कार्य संस्कृति का विकास भी किया जा रहा है जो उद्यमों के उत्प्रेरण में प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और कार्यालय दक्षता में भी अभिवृद्वि होगी।

विविध संस्थाओं जैसे सिडबी, आई0टी0पी0ओ0, डीजी0एफ0टी0, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निदेशालय से सूचनाएं मांगी जाती है इस हेतु निदेशालय में डाटा बैंक स्थापित करने में प्रयास किये जा रहें है। निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन तथा उद्यमियों हेतु सार्थक सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा ताकि उद्यमियों को सूचनाओं एवं प्रक्रियों हेतु भटकना न पड़े।

उद्यमियों को आई0टी0 जागरूक बनाने हेतु हेतु विभिन्न कार्य ाला का भी आयोजन निदेशालय द्वारा किया गया ताकि उद्यमी ई–गवर्नेन्स के विभिन्न परियोजनाओं मुख्यतः ई–टेन्डर, उद्यमी निवेश मित्र, ऑनलाईन सिंगल टेबल सिस्टम इत्यादि से उनका परिचय हो सके तथा इस परियोजनाओं निहित उद्देश्यों का अधिकाधिक लाभ उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया जा सके।

स्वरोजगार सृजन से संबंधी महात्वाकॉक्षी कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य'क्रम में लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के दृष्टि से विभाग द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है।

निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त क्रय प्रक्रिया को समयबद्ध व कम्प्यूटराइज्ड किये जाने के साथ साथ वेब बेस्ड ऑनलाइन किये जाने हेतु निक लखनऊ, यू0पी0ई0सी0एल0 के सहयोग से ई–प्रिक्योरमेन्ट व्यवस्था लागू की गयी है। सामग्री क्रय अनुभाग के 112 टेण्डर ऑनलाइन प्रकाि ात किये जा चुके है और भविश्य में सभी टेण्डर ई–प्रिक्योरमेन्ट के माध्यम से ही प्रकाि ात होगें जिससे टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं मितव्ययी होगी ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने एवं वर्तमान योजनाओं का लाभ जन–जन तक सुलभ कराने तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग स्थापित करने को अधिक सरल तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से निवेश मित्र की स्थापना की गयी है जिसके लिए एकलमेज व्यवस्था के अन्तर्गत एक वेब आधारित साफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि उद्योगों को स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से निर्गत किया जा सके। प्रथम चरण में 18 जनपदों (रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बाराबंकी कानपुर(नगर), उन्नाव, मुरादाबाद, कुशीनगर, हाथरस आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, गाजीपुर मथुरा, जे0पी0 नगर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा) में यह व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्यमियों द्वारा आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें एवं समयबद्ध रूप में सभी सम्बंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण पत्र आदि निर्गत किये जाने का प्रावधान है।

सभी 71 जिला उद्योग केन्द्र में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमियों को ऑनलाइन फार्म भरने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

दिनॉक 4–1–2010 तक ऑनलाइन निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा 798 आवेदन पत्र निस्तारित किये गये।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तथा छोटी इकाईयो को ऑनलाईन एकल मेज की सुविधा प्रदान करने हेतु उद्योग बन्धु एवं आई0आई0ए0 के सहयोग से ऑनलाईन एकल मेज व्यवस्था प्रदेश के समस्त जिलों मे स्थापित की गई इसके द्वारा उद्यमियों द्वारा किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से अपने उद्योग हेतु आवेदन भेजे जा सकते है तथा मैमोरेन्डम पार्ट–1 एवं 2 की रसीद प्राप्त की जा सकती है।

ई–गर्वनेन्स को सुदृढ़ रखने हेतु समस्त जिला उद्योग केन्द्रो को कम्प्यूटर, स्कैनेर,प्रिन्टर तथा इन्टरनेट सुविधायुक्त बनाया जा चुका है। पत्राचार तथा अन्य प्रकार की सूचनाओं के संप्रेषण हेतु अधिकाधिक रूप से इन्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सूचनाओं का संप्रेषण द्रुतगामी तथा मितव्यी हो सके।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

(परिशिष्ट)

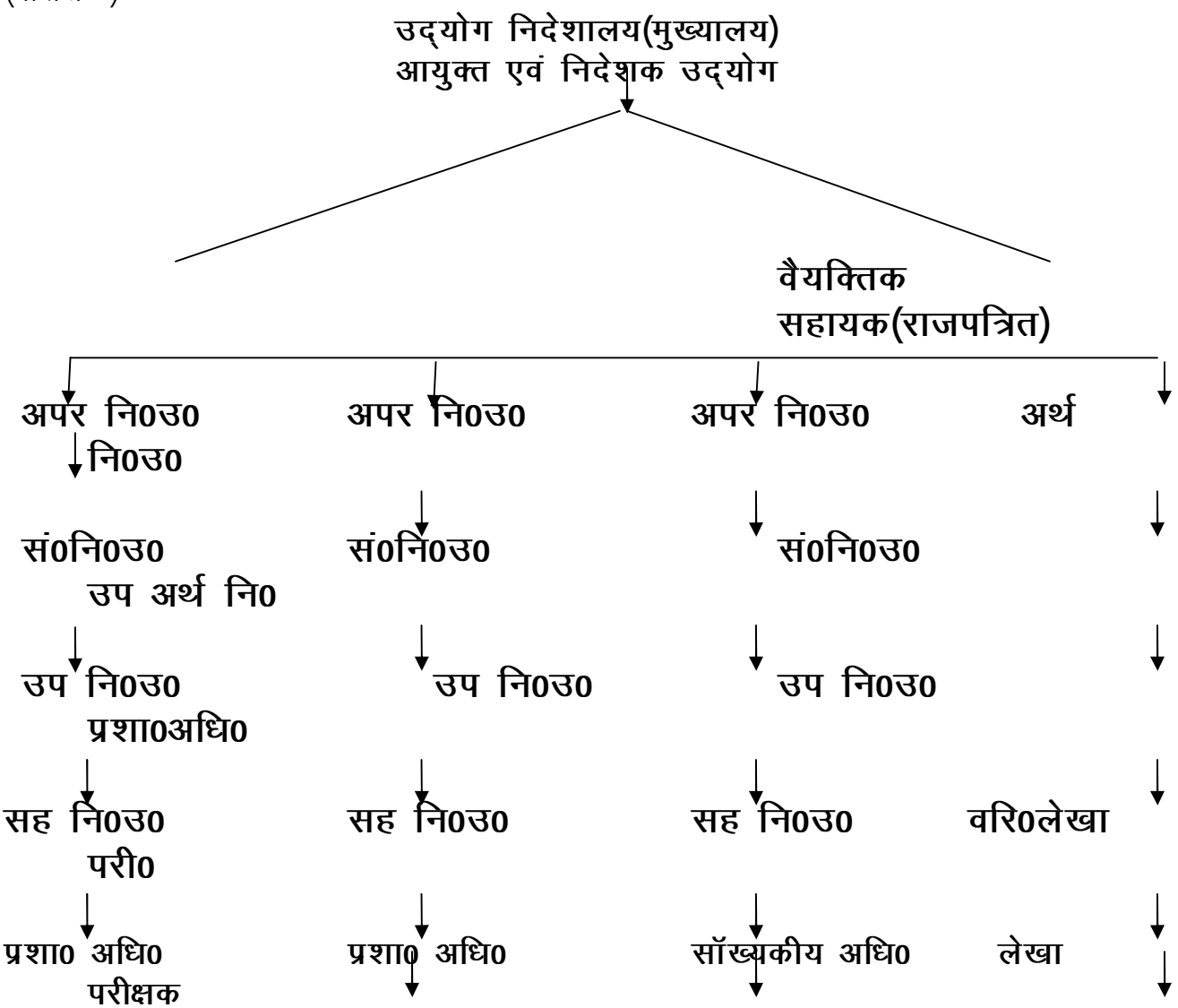

चालक
दफ्तरी
अर्दली
चपरासी
स्वच्छकार

वरिष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक
चालक
दफ्तरी
अर्दली
चपरासी
स्वच्छकार

नियोजन अधिकारी
शोध सहायक
अधीक्षक
प्राविधिक सहायक
ओवरसियर
बजट एवं नियोजन सहा0
व्यवसाय परी0
विधि सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष/
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
मैक0साइक्लोस्टाइलर,
जमादार

डुप्ली0आपरेटर

मण्डलीय कार्यालय

परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग

आशुलिपिक
प्रधान लिपिक
वरिष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक चालक
दफ्तरी
अर्दली/चपरासी/चौकीदार
माली
स्वच्छकार

ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक
लेखा परीक्षक

जनपदीय कार्यालय(जिला उद्योग केन्द्र)

महा प्रबन्धक

प्रबन्धक(ऋण)
ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक
सॉख्यकीय सहायक
सहायक प्रबन्धक
प्रबन्धक

प्रबन्धक(तकनीकी)
सहायक प्रबन्धक
आशुलिपिक

प्रबन्धक(परियोजना)
सहायक प्रबन्धक
वरिष्ठ लिपिक

प्रबन्धक(विपणन)
सहायक

कनिष्ठ लिपिक
अन्वेषक–संगणक
प्रधान लिपिक

लिपिक

लिपिक

चालक

कनिष्ठ लिपिक

चपरासी

दफ्तरी

वरिष्ठ

आशुलिपिक
कनिष्ठ

चौकीदार
स्वच्छकार